व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्या

जनपद–आगरा

वर्ष 1989–90

NIEPA DC
D07826

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सर्वेक्षण–मण्डल

(1) महबीर प्रसाद शर्मा

जिला विद्यालय निरीक्षक/सर्वेक्षण अधिकारी

आगरा

(2) राजेन्द्र सिंह

राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

आगरा

(3) राजा मोहन भटनागर

राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

आगरा

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7826
Date 27-10-93

प्राग्वाक्

राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने व्यावसायिक शिक्षा को प्लस दो स्तर पर लागू करने के लिए अपनी अनुशंसायें की हैं। सभी अनुशंसाओं का सार तत्व यह रहा है कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाय जिसके फलस्वरूप प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का शुभारम्भ किया गया। अब व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को मात्र व्यवसाय दिलाने का न होकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देना तथा व्यवसाय विशेष में न्यूनतम क्षमता विकसित करना है जिससे यदि किन्हीं कारणोंवश उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें तो वे अपनी व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्रेरित होकर स्वरोजगार कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इतना ही नहीं व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन इसलिए भी जरूरी समझा गया जिससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़े, कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति का सन्तुलन दूर हो सके।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय विशिष्टताओं के आधार पर प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विविध शिल्पों तथा ट्रेड्स के शिक्षा की व्यवस्था करना समीचीन होगा। अतः छात्रों को अपनी रुचियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त शिल्प अथवा ट्रेड का चयन करने हेतु अवसर प्रदान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनपदों में प्रचलित अथवा सम्भावित शिल्पों के संबंध में सर्वेक्षण द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जनपद के स्थानीय शिल्पों तथा ट्रेड्स के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर इस प्रकाशन में प्रस्तुत किया गया है।

आशा है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनपदों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की रुचियों, आकांक्षाओं तथा स्थानीय स्तर पर सुलभ संसाधनों के अनुसार विभिन्न शिल्पों एवं ट्रेड्स के शिक्षण की व्यवस्था करने में यह प्रकाशन सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ दिनांक 21 जुलाई 1992

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	—जनपदीय सर्वेक्षण की भूमिका	4—5
2	—परिचय	6—7
3	—आगरा जनपद एक नजर में	8—10
4	—सर्वेक्षण आख्या	11—
5	—आगरा जनपद का परिचय	12—13
6	—जनपद में स्थित विकास खण्डों की रूपरेखा में जनसंख्या आबाद गाँवों, कृषि योग्य भूमि, मुख्य फसलें, पशुधन कृषि संयत्र एवं अन्य मूलभूत आँकड़े	14—22
7	—जनपद में स्थित विकास खण्डों के आँकड़े	23—39
8	—विपणन, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उद्योगों का चयन, तकनीकी परामर्श	67—76
9	—कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण व आँकड़ों का विश्लेषण	77—86
10	–सर्वेक्षण आख्या का सार	87—
11	–संलग्नक चार्ट	88—

●●

दो शब्द

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में प्लस दो स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु आगरा जनपद का सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण में वर्ष 1985 से 1989 तक की स्थिति का अध्ययन है जिससे यह पता चल सके कि प्रति वर्ष इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं स्वरोजगार हेतु किन प्रशिक्षणों को चलाया जाय। श्री पी० के० सिन्हा, जिलाधिकारी, आगरा का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण हेतु विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आंकड़े संकलन के लिये पत्र निर्गत करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। आगरा जनपद में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों, सूचना विभाग, केन्द्रीय उद्योग कार्यालय, रोजगार कार्यालय, कैनरा बैंक एवं विद्युत विभाग के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण आख्या हेतु आवश्यक सामग्री इस कार्यालय के सहायकों को उपलब्ध कराई। कार्यालय के सहायक सर्वेक्षण अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री राधा मोहन भटनागर एवं श्री एन० डी० मुद्गल तात्कालिक स० जि० वि० नि०, आगरा सर्वेक्षण कार्य के संचालन, संकलन के लिये किये गये विशेष योगदान के लिये निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यालय के अनुदेशक वर्ग लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी उनके योगदान के लिये आभार व्यक्त करता हूँ।

नवसृजित जनपद फिरोजाबाद को आगरा जनपद के अंग के रूप में ही रखाकर अध्ययन किया गया है। मानचित्र में भी फिरोजाबाद को आगरा जनपद में ही दर्शाया गया है।

कतिपय त्रुटियों के रहते हुए भी आशा है कि यह सर्वेक्षण व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयीकरण में निश्चित रूप से सहायक एवं सक्षम होगा।

महाबीर प्रसाद शर्मा
जिला विद्यालय निरीक्षक
आगरा

मंडलीय शिक्षा अधिकारी, आगरा मंडल, आगरा

1—श्री शिवनाथ सिंह परिहार	मंडलीय उप शिक्षा निदेशक,
2—श्रीममती संतोष बाउट्रा	मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका
3—श्री वी० वी० थपलियाल	मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
4—श्रीमती बिराज यादव	निदेशक, मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्र
5—श्रीमती संतोष भाटिया	सह मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका
6—श्री एन० डी० मुद्गल	मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी

जनपदीय शिक्षा अधिकारी, आगरा

1—श्री जगत सिंह पांगती	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
2—श्री महावीर प्रसाद शर्मा	जिला विद्यालय निरीक्षक
3—श्रीमती राज पाठक	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका
4—श्री हरिहर नाथ गुप्ता	सह जिला विद्यालय निरीक्षक
5—श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	राजकीय इन्टर कालेज, आगरा
6—श्री कृपा शंकर शर्मा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
7—श्री राम सागर मिश्रा	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ
8—श्री श्रीभगवान कुलश्रेष्ठ	उप विद्यालय निरीक्षक

सहायक सर्वेक्षण अधिकारी

1—श्री राजेन्द्र सिंह	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
2—श्री राधा मोहन भटनागर	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

सहायक

1—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
2—श्री हरिकिशन अग्रवाल	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
3—श्री एस० पी० सिंह राना	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
4—श्री रास बिहारी टिक्खा	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
5—श्री मोहर सिंह	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
6—श्री बी० एस० सक्सेना	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
7—श्री एस० डब्लू० ग्लाण्डे	राजकीय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
8—श्री जगदीश प्रसाद	सांख्यिकी अन्वेषक एवं संगणक

जनपदीय सर्वेक्षण की भूमिका

आवश्यकता एवं महत्व :-—

बिगत अनेक वर्षों से देश के समक्ष विशेष रूप से शिक्षा जगत में यह विचारणीय विषय था कि जो छात्र हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं, उनके लिये रोजगार प्राप्त करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अतः यह विचार किया गया कि यदि शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा विभिन्न ट्रेड्स में विद्यार्थियों को प्लस दो स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाय तो उत्तीर्णोपरान्त उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा स्वरोजगार हेतु शासन द्वारा ऋण स्वीकृत कराकर उनको स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। इसलिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से सम्पूर्ण भारत में प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का श्रीगणेश किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भी यह योजना प्रारम्भ कर दी गई। रोजगार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कर यह ज्ञान प्राप्त किया जाय कि किन-किन क्षेत्रों में वर्तमान में रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तथा भविष्य में किन-किन क्षेत्रों कौन-कौन से रोजगार की सम्भावनायें हैं जिससे नवयुवकों को कार्य मिल सके।

क्षेत्र :—

विद्यार्थियों की रोजगार दिलाने व स्वरोजगार की सम्भावनाओं हेतु व्यावसायिक दृष्टि से सर्वेक्षण का क्षेत्र निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित किया गया है :—

(1) कल, कारखाने सम्बन्धी व्यवसाय, प्रशिक्षण तथा रिक्तियाँ/भविष्य में सम्भावित रिक्तियाँ।

(2) कृषि सम्बन्धी व्यवसाय, उपजाऊ, भूमि, अधिक उपजाऊ फसलें. रासायनिक उर्वरकों की खपत, सिंचाई के साधन, कृषि औजारों का प्रयोग तथा भविष्य में सम्भावनायें।

(3) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय—चिकित्सालय, प्राइवेट नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र आदि अधिकांश किस प्रकार की रिक्तियाँ रहती हैं। कितनी शिक्षा प्राप्त छात्र/छात्राओं को कौन-कौन से प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सकती हैं।

(4) घरेलू तथा कुटीर उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय।

(5) पशु-चिकित्सा, पशुधन दुग्ध उत्पादक उद्योग आदि।

(6) विद्युत सुविधा की उपलब्धता तथा गांवों में विद्युतीकरण ।

(7) व्यापार एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान ।

(8) माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त आंकड़े ।

जनपदीय सर्वेक्षण के उद्देश्य :—

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि माध्यमिक विद्यालयों से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को बड़े उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, कृषि सम्बन्धी व्यवसायें, चिकित्सा सेवाओं, घरेलू तथा कुटीर उद्योग, पशुधन सम्बन्धी उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाना तथा उनकी रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त यह भी उद्देश्य है कि भविष्य में किस प्रकार के रोजगार की रिक्तियाँ होने की सम्भावना हैं ताकि उनके अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाया जा सके तथा छात्रों की स्वरोजगार की दिशा में स्वावलम्बी बनाया जा सके ।

वार्षिक ड्राप आउट

वर्ष	इन्टरमीडिएट परीक्षा		
	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग
1985	10,181	4,659	14,840
1986	11,170	5,950	17'120
1987	13,200	6,480	19,680
1988	13,748	7,040	20,088
1989	15,720	9,541	25,261

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अत्यधिक आवश्कता है ।

खंड—1

परिचय

आगरा :—

1. **भौगोलिक**—भारत के तीन पवित्र नदियाँ-गंगा, यमुना व सरस्वती में से एक यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमरी चादर में लपेटे विश्वप्रिय ताज महल को अपने सीने में छिपाये आगरा दुनियाँ के नक्शे में सुर्ख गुलाब की तरह एक हर दिल अजीज नाम है।

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित आगरा, फिरोजाबाद जनपद बन जाने के बाद अब छः तहसीलों और 15 विकास खंडों में सिमट आया है। वर्तमान में आगरा जनपद का क्षेत्रफल 4805 वर्ग कि० मी० है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार आगरा जनपद के 1152 गांव एवं नगर में कुल 28, 52, 942 लोग निवास करते हैं। जिसमें 15, 60, 703 पुरुष तथा 12, 92, 229 स्त्रियाँ हैं।

आगरा की जलवायु अधिक शुष्क एवं गर्म है। वर्षा अन्य जिलों की अपेक्षाकृत कम होती है।

2. **ऐतिहासिक**—इतिहासकारों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का क्रीड़ा स्थल अग्रवन ही आज आगरा जनपद के रूप में विश्व-प्रसिद्ध है। आगरा, भारत का वह नगर है जिसे भारत की राजधानी बनने का दो बार गौरव प्राप्त हुआ। सन् 1504 ई० में सिकन्दर लोधी ने और सन् 1580 ई० में सम्राट अकबर की सुलहकुल नीति के प्रभाव में आगरा में सर्व धर्म समभाव एक समन्वय संस्कृति का शनैं-शनैं विकास हुआ और "जीओ और जीने दो" के मूल सिद्धान्त को यहाँ की जनता ने उदार हृदय से अपनाया। सन् 1628 ई० में शाहजहाँ गद्दी पर बैठे जिन्होंने सन् 1633 ई० में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के निधन पर जगत प्रसिद्ध एवं अद्भुत इमारत ताजमहल का निर्माण कराया जिसे विश्व की आश्यर्यजनक सात इमारतों में से एक माना जाता है। मुगल काल में उद्योग संगीत, नृत्य, गायन एवं वस्तुकला को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन् 1785 ई० में आगरा महारानी सिंधियां के अधिकार में आ गया। सन् 1803 ई० में आगरा नगर पर अंग्रेज लार्ड बैलेजली ने आक्रमण कर दिया। मराठों की हार के परिणाम स्वरूप सन् 1805 में आगरा में एक कलक्टर नियुक्त कर आगरा को अंग्रेजी साम्राज्य का एक जिला बनाया और इसे कमिश्नरी घोषित कर दिया। सन् 1833 ई० में आगरा प्रेसीडेन्सी की नींव

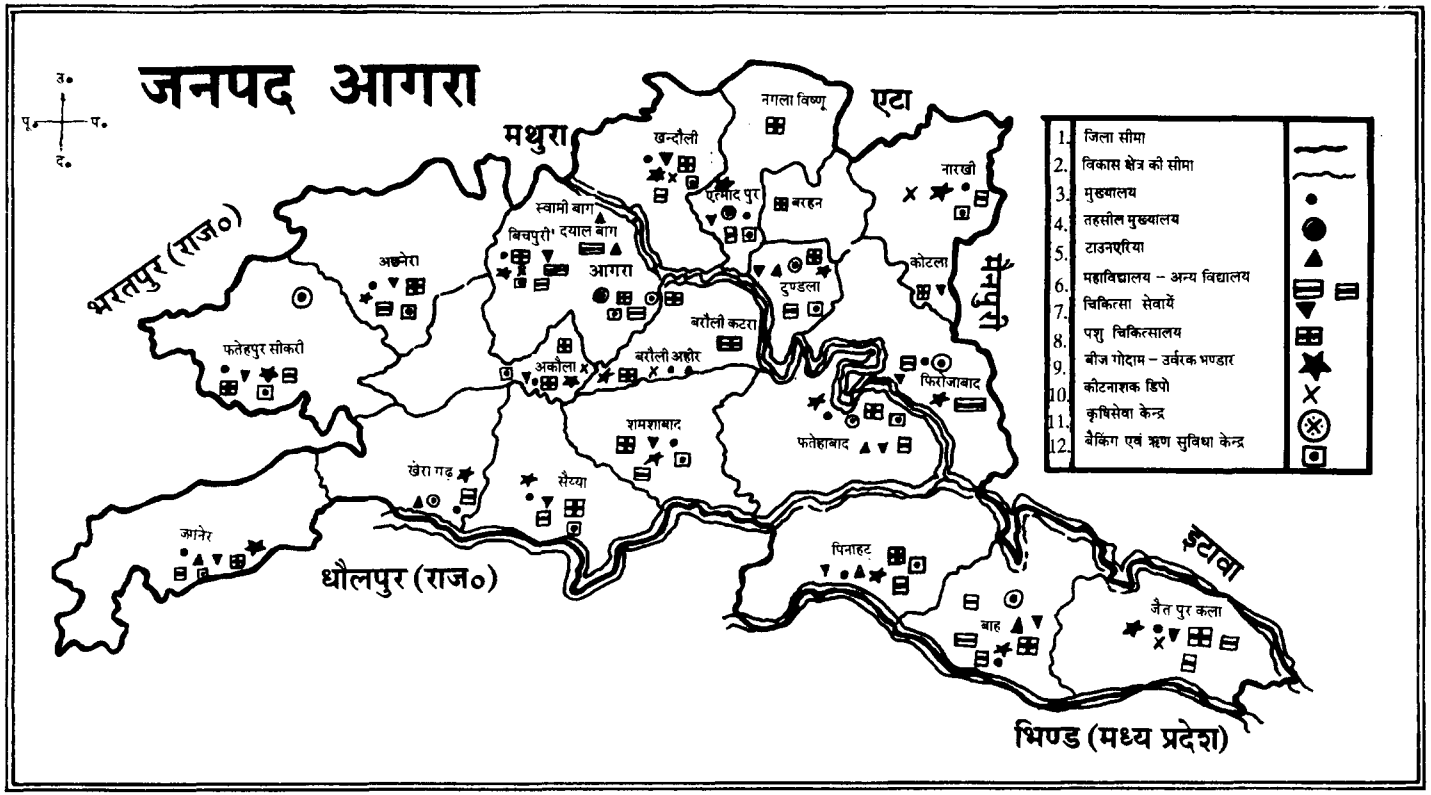

जनपद आगरा
उ.
पू.
प.
द.
मथुरा
एटा
भरतपुर (राज०)
मैनपुरी
धौलपुर (राज०)
इटावा
भिण्ड (मध्य प्रदेश)
नगला विष्णु
खन्दौली
एत्मादपुर
बरहन
नारखी
कोटला
स्वामी बाग
बिचपुरी
दयाल बाग
अछनेरा
आगरा
टुण्डला
फतेहपुर सीकरी
बरौली कटरा
बरौली अहीर
अकौला
फिरोजाबाद
शमशाबाद
फतेहाबाद
खेरा गढ़
सैय्या
जगनेर
पिनाहट
बाह
जैत पुर कला
1. जिला सीमा
2. विकास क्षेत्र की सीमा
3. मुख्यालय
4. तहसील मुख्यालय
5. टाउनएरिया
6. महाविद्यालय – अन्य विद्यालय
7. चिकित्सा सेवायें
8. पशु चिकित्सालय
9. बीज गोदाम – उर्वरक भण्डार
10. कीटनाशक डिपो
11. कृषिसेवा केन्द्र
12. बैंकिंग एवं ऋण सुविधा केन्द्र

पड़ी जिसमें रूहेल खंड, गोरखपुर, जबलपुर एवं इलाहाबाद, के जिले सम्मिलित थे। सन् 1835 में आगरा प्रेसीडेन्सी के स्थान पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त बनाया गया तथा आगरा की राजधानी घोषित किया गया। सन् 1868 ई० में पुनः आगरा केवल कमिश्नरी के रूप में रह गया। सन् 1857 की क्रांति में यहां के निवासियों ने अधिक संख्या में भाग लिया सितम्बर 15,1929 ई० को महात्मा गांधी के आगरा आगमन पर यहां की जनता ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिये तन, मन एवं धन से प्रदर्शनों में भाग लिया। श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। जिनके निर्देशन में नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्तु बहिष्कार लगान बन्दोबस्त एवं नशाबन्दी आन्दोलन हुए। सन् 1857 का चमरौला-कांड आज भी शहीदों की याद दिलाता है। यह जनपद सरदार भगतसिंह का भी कार्य क्षेत्र रहा। गालिब और नजीर जैसे शायरों का जन्म दाता भी यह आगरा जनपद रहा है।

उन्नीसवीं शताब्दी में राधास्वामी मत का उदय हुआ। राधास्वामी मत की स्थापना स्वामी सिंह दयाल सिंह एवं हुजूर राय मलिक बहादुर ने की। सन् 1915 ई० में साहिबजी महाराज के द्वारा आगरा में दयालबाग की नींव डाली गई।

सन् 1947 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर, पर्यटक स्थल एवं व्यावसायिक केन्द्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगरा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज स्थित हैं। आगरा विश्वविद्यालय अनेकों महाविद्यालयों का संचालन करता है।

———

आगरा जनपद एक नजर में

1. जन संख्या (1981 के अनुसार)	28, 52, 942
(अ) ग्रामीण क्षेत्र	17, 66, 030
(ब) नगरीय क्षेत्र	10,86,912
2. कुल क्षेत्रफल	4805 वर्ग कि० मी०
(अ) कृषि योग्य	3,59,998 वर्ग हेक्टेयर
(ब) सिंचित क्षेत्रफल	2,20,187 वर्ग हेक्टेयर
3. ग्रामों की संख्या	1152
4. ग्राम पंचायत	1019
5. न्याय पंचायत	141
6. तहसील	7
7. विकास खंड	18
8. टाउन एरिया	8
9. प्रमुख उपज	जौ, गेहूँ, चना, मटर ज्वार, बाजरा सरसों आदि ।
10. कुल उत्पादन	6,10,431 मी० टन
11. प्रमुख उपजों का उत्पादन	1,55,612 मी० टन
12. प्रमुख सिंचाई साधन	नहर, राजकीय एवं निजी नलकूप
13. नहरों की लम्बाई	505 कि० मी०
14. राजकीय नलकूप	542
15. निजी नलकूप	31904
16. प्रमुख उद्योग	चर्म, वस्तुकला, कांच उद्योग
17. प्रमुख हस्त शिल्प	दरी, कालीन, संगमरमर, पच्चीकारी

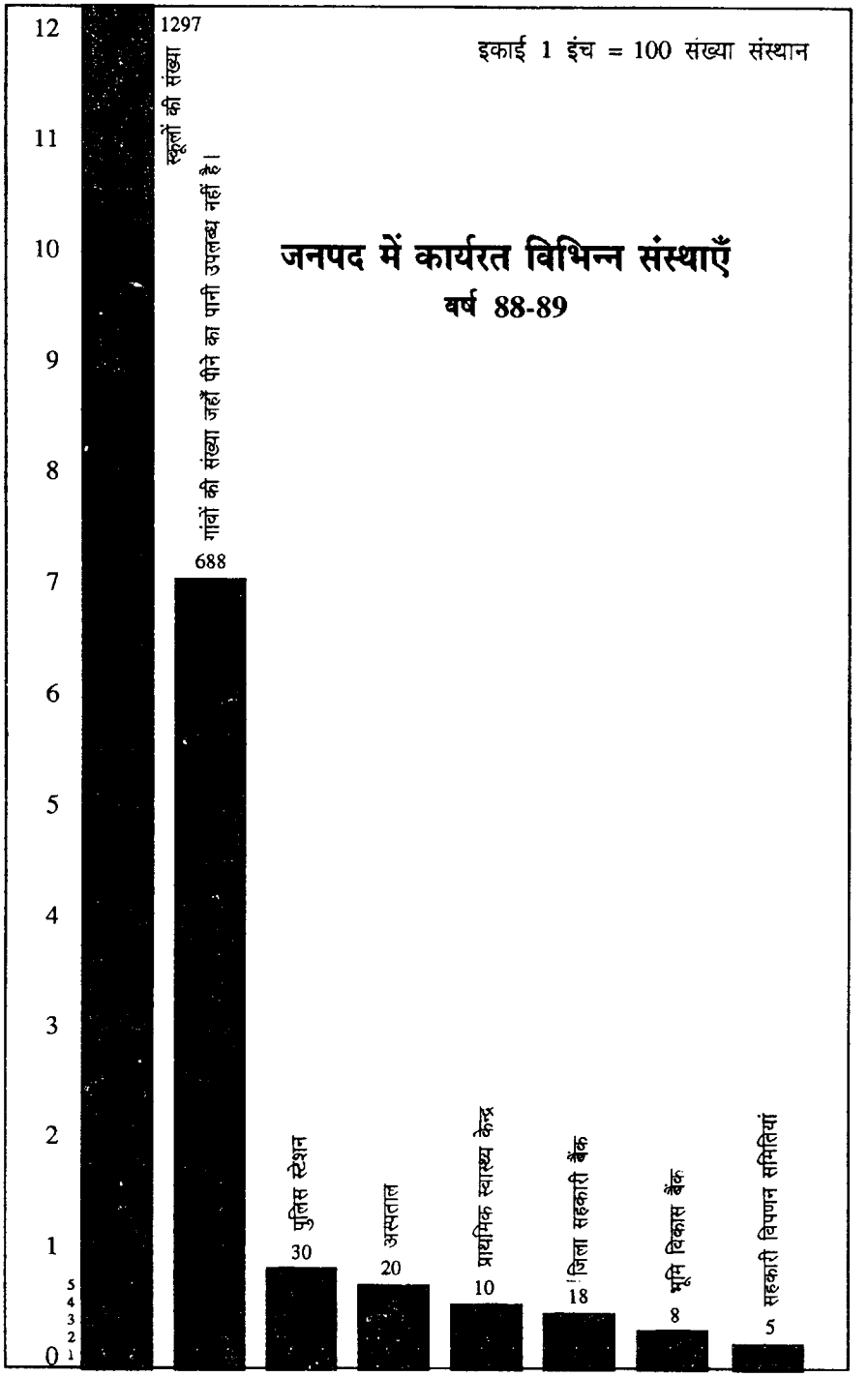
इकाई 1 इंच = 100 संख्या संस्थान
जनपद में कार्यरत विभिन्न संस्थाएँ
वर्ष 88-89
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1297
स्कूलों की संख्या
गांवों की संख्या जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।
688
पुलिस स्टेशन
30
अस्पताल
20
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
10
जिला सहकारी बैंक
18
भूमि विकास बैंक
8
सहकारी विपणन समितियां
5

18. सामान्य व्यवसाय	लोहे की सरिया, पाइप, तौलने के बांट मशीन, ब्लाक, नमकीन एवं पेठा आदि।
19. सड़कों की लम्बाई	2298 कि० मी०
20. ग्रामों की संख्या जहां पेय जल उपलब्ध है	1152
21. विद्युतीकरण ग्रामों की सं०	977
22. विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां	338
23. पक्के मार्गो से जुड़े ग्राम	492
24. प्राइमरी विद्यालय	1666
25. जूनियर हाई स्कूल	446
26. माध्यमिक विद्यालय	146
27. विश्व विद्यालय	2
28. स्थानीय निकाय	16
29. नगर महापालिका	1
30. नगर पालिका	6
31. छावनी क्षेत्र	
32. नगर क्षेत्र समिति	8
33. पुलिस स्टेशन	46
34. साक्षरता	38.45 प्रतिशत
(अ) पुरुष	44.45 प्रतिशत
(ब) स्त्री	19.92 प्रतिशत
35. डाकघर	388
36. बैंक शाखा	258
37. पशुधन	959986
38. रेलवे स्टेशन	33
39. बस स्टेशन नगर	3
40. टी० वी० टावर	1
41. रेडियो स्टेशन	1

42. औद्योगिक इकाई

अ—(बड़े उद्योग)	
ब—(छोटे उद्योग)	पंजीकृत 85, अपंजीकृत 2180
स—(कुटीर उद्योग)	3693

43. व्यावसायिक शिक्षा जिन विद्यालयों में चलाई जा रही है।

1. राजकीय इन्टर कालेज, आगरा	ट्रेड्स :—1. एकाउन्टेंसी
	2. रेडियो व टेलीविजन
	3. फोटो ग्राफी
2. आर. बी. एस. इं. का. आगरा	ट्रेड्स :—1. डेरी
	2. पौधशाला
	3. एकाउन्टेन्सी व अंकेक्षण
3. बी. डी. जैन गर्ल्स इं. का. आगरा	ट्रेड्स :—1. खाद्य संरक्षण
	2. परिधान रचना व सज्जा
	3. बेकरी एवं कन्फेक्शनरी

44. नवीन विद्यालय जहां वर्ष 91–92 में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ होगी :—

1. एन. सी. वैदिक इं. का. आगरा	ट्रेड्स :—1. बैंकिंग
	2. नर्सरी शिक्षक प्रशि० एवं शिशु प्रबन्ध
2. महाराजा अग्रसेन इं. का. आगरा	ट्रेड्स :—1. आशुलिपि टंकण
	2. फोटो ग्राफी
3. रत्न मुनि जैन इं. का. आगरा	वर्कशेड निर्माणाधीन

खंड—2

सर्वेक्षण–आख्या

परिचय :

आधुनिक प्रगति शील समाज, जिसकी आवश्यकतायें अत्यन्त अल्पावधि में परिवर्तन की मांग करने लगी हैं, नूतन व्यवसाय खुलते जा रहे है, नये–नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे स्रोतों को खोलना अवश्य है जिससे अल्प शिक्षा विधि में ही नवीन व्यवसायों के लिये शिक्षित बालक एवं बालिकायें उपब्ध हो सकें। आधुनिक जीवन में फैशन एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के निर्माणीकरण में नवीन व्यावसायिक योजनाओं के स्रोत खोजे जा सकते हैं। सर्वेक्षण आख्या इसी संदर्भ में एक प्रयास है।

पिछले वर्षों में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या को व्यवसाय पर शिक्षा प्रणाली से जोड़कर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण के द्वारा आसानी से स्वरोजगार खोलने व रोजगार प्राप्त कराने के लिये ठोस उपाय किये जा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार सुसंगठित क्रियान्वयन की बात कही गई है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा उ० प्र०, की देख रेख में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की उपादेयता को देखते हुए सर्वेक्षण कराया जा रहा हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु ट्रेड्स संचालित है।

———

आगरा जनपद का परिचय

आगरा जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर स्थित है। आगरा के दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान की सीमा एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश है। इसके उत्तर में मथुरा एवं एटा जनपद तथा पूर्व में मैनपुरी एवं इटावा जनपद स्थित है। आगरा जनपद 125 कि० मी० लम्बाई तथा 120 कि० मी० चौड़ाई में फैला हुआ है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4805 वर्ग कि० मी० है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.6 प्रतिशत जिसमें फिरोजाबाद सम्मिलित है।

जनपद की कुल जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 28.53 लाख है जन-संख्या का घनत्व 594 प्रति वर्ग कि० मी० है। कुल जनसंख्या में 17.66 लाख ग्रामीण एवं 10.87 लाख शहरी जनसंख्या है। प्रति हजार पुरुषों के पीछे 828 महिलायें हैं। कुल जनसंख्या का 22.15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जन जाति हैं।

यहां कमिश्नरी का मुख्यालय भी है। कमिश्नरी में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा मैनपुरी फिरोजाबाद जनपद सम्मिलित है। जनपद में 1174 आबाद ग्राम, 141 न्याय पंचायत एवं 1019 ग्राम सभा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आगरा को निम्नांकित 7 तहसीलों एवं 18 विकास खंडों में विभाजित किया गया है।

क्र० सं०	तहसील	विकास खंड
1.	आगरा	बरौली अहीर बिचपुरी, एवं अकोला
2.	किराबली	अछनेरा एवं फतेहपुर सीकरी
3.	खोरागढ़	जगनेर, खोरागढ़ एवं सैंया
4.	पतहाबाद	पतहाबाद एवं शमशाबाद
5.	बाह	बाह, बिनाहट एवं जैतपुर कला
6.	एत्मादपुर	एत्मादपुर, खंदौली एवं टूण्डला
7.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद एवं कोटला/नारखी

विकास खंड अकोला का कुल भाग आगरा तहसील में आता है शेष भाग किराबली तहसील में है। जनपद की दो तहसीलें एत्मादपुर तथा फिरोजाबाद जमुना नदी के उत्तर

जनपद आगरा

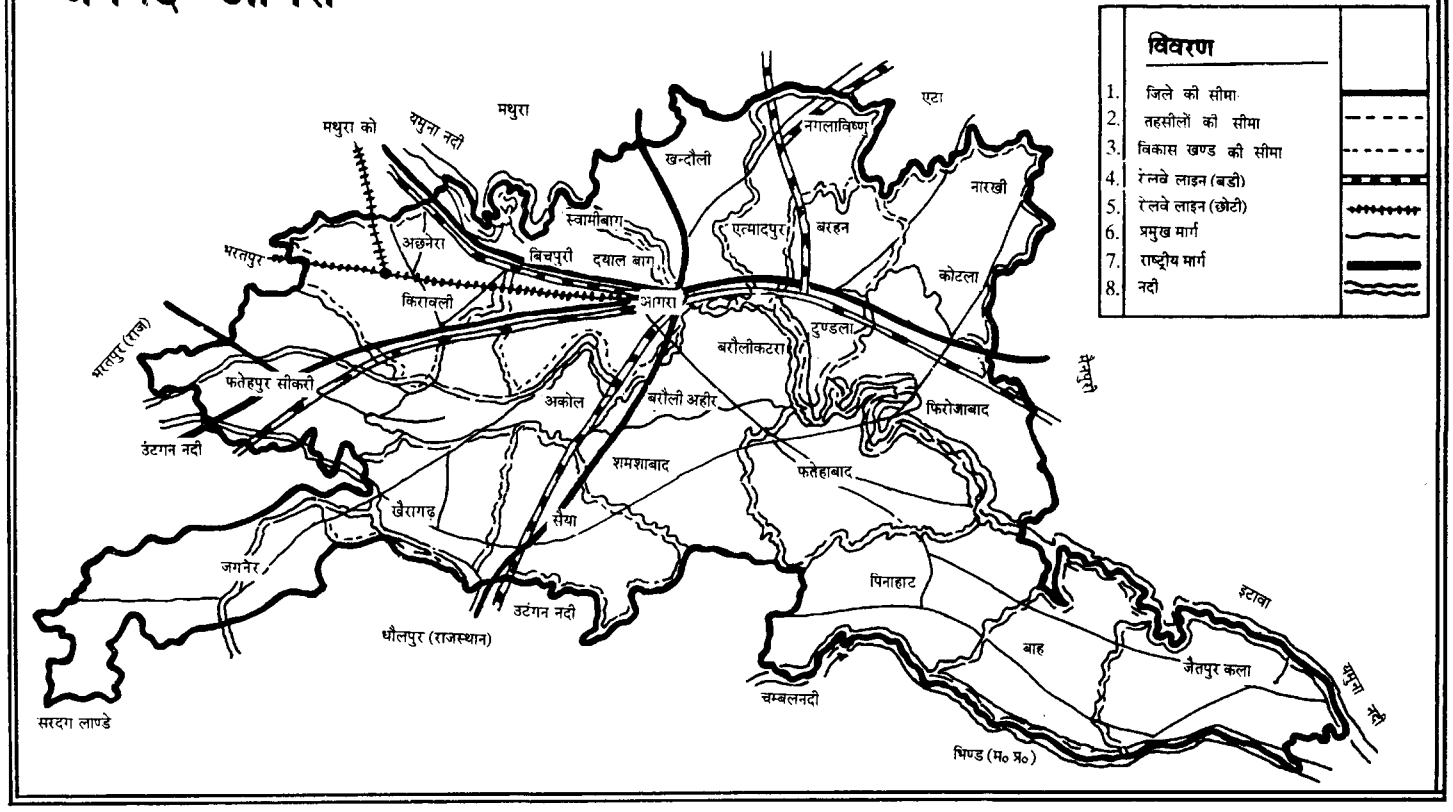

विवरण
1. जिले की सीमा
2. तहसीलों की सीमा
3. विकास खण्ड की सीमा
4. रेलवे लाइन (बडी)
5. रेलवे लाइन (छोटी)
6. प्रमुख मार्ग
7. राष्ट्रीय मार्ग
8. नदी
मथुरा
एटा
मथुरा को
यमुना नदी
नगलाविष्णु
खन्दौली
नारखी
स्वामीबाग
एत्मादपुर
बरहन
अछनेरा
बिचपुरी
दयाल बाग
भरतपुर
कोटला
किरावली
आगरा
टुण्डला
भरतपुर (राज)
बरौलीकटरा
मैनपुरी
फतेहपुर सीकरी
अकोल
बरौली अहीर
फिरोजाबाद
उंटगन नदी
शमशाबाद
फतेहाबाद
खैरागढ़
सैया
जगनेर
पिनाहाट
इटावा
उटंगन नदी
धौलपुर (राजस्थान)
बाह
जैतपुर कला
यमुना नदी
चम्बलनदी
सरदग लाण्डे
भिण्ड (म० प्र०)

में स्थित हैं तथा शेष पांच तहसीलें दक्षिण में हैं। जनपद की वाह तहसील का क्षेत्र यमुना तथा चम्बल नदियों के बीच की एक लम्बी पट्टी है इन नदियों के बहाव के कारण भूमि गहरे खारों के रूप में हो गई है।

बिगत 5 फरवरी 1989 को उ० प्र० सरकार द्वारा आगरा एवं मैनपुरी जनपद के कुछ विकास खंडों को मिलाकर एक नये जनपद का सृजन किया गया है। जिसका मुख्यालय फिरोजाबाद है।

नव सृजित जनपद फिरोजाबाद में निम्नांकित विकास खंड हैं।

आगरा जनपद से : फिरोजाबाद टूण्डला एवं नारखी

मैनपुरी जनपद से : खौरगढ़, जसराना शिकोहाबाद मदनपुर, आराब, सिरता गंज।

उक्त सर्वेक्षण में फिरोजाबाद को आगरा की तहसील के रूप में लिया गया है तथा उसी प्रकार अध्ययन किया गया है।

खंड—3

इस खंड में जनपद में स्थित विकास खंडों की रूप रेखा में जनसंख्या आबाद, गांवों, कृषि योग्य भूमि, मुख्य फसलें, पशुधन कृषि संयंत्र एवं अन्य मूलभूत आंकड़े दिये जा रहे हैं।

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम					
	अछनेरा	अकोला	बाह	ब० अहीर	बिचपुरी	एत्मादपुर
	1	2	3	4	5	6
1—स्थिति :						
(1) कस्बों की संख्या	1	1	1	—	2	1
(2) बसे गॉवों की संख्या	65	41	79	70	34	60
(3) ग्राम सभाओं की संख्या	58	41	81	68	32	55
(अ) कुल जनसंख्या	108856	84144	82752	125596	92422	95542
(ब) ग्रामीण जन संख्या	—	—	—	—	—	—
(स) शहरी जन संख्या	—	—	—	—	—	—
(द) अनु० जाति/ जन जाति	21421	19323	21362	29804	27376	23945
(ध) जनसंख्या का घनत्व	374	492	313	489	553	436

	1	2	3	4	5	6
1/2—व्यावसायिक वितरण :						
(अ) कामगारों की संख्या	12265	11451	18099	18106	7942	14380
(ब) कृषि मजदूर	5809	4215	1414	5815	2929	5898
(स) कृषि की सहा० क्रियायें	—	—	—	—	—	—
(द) कुटीर घरेलू उद्योग	1605	1033	371	2301	2000	877
(य) अन्य उद्योग	—	—	—	—	—	—
(र) व्यापार व वाणिज्य	—	—	—	—	—	—
(ल) अन्य	7336	6439	2350	9578	12788	4711
(ब) कुल कामगर	3105	23138	22234	35800	25659	25866
1/3—मूलभूत सुविधायें :						
(अ) विद्युत शक्ति ग्रामीण विद्युतीकरण						
(1) पहले से सुविधा प्राप्त गांव	16	24	79	37	32	33
(2) सातवीं योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले गांव	—	—	—	—	—	—
(3) सातवीं योजना में अतिरिक्त शक्ति (के०डब्लू०एच०) जो कि उपलब्ध हो सकती है	—	—	—	—	—	—
(क) कृषि	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
(ख) उद्योग	—	—	—	—	—	—
(ग) घरेलू उद्योग	—	—	—	—	—	—
(ब) सड़क एवं संचार व्यवस्था	—	—	—	—	—	—
(1) पक्की सड़क की कुल लम्बाई						
(i) वर्तमान	97	49	88	66	51	93
(ii) अतिरिक्त सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आंकड़े

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम				
	क. सीकरी	फतहाबाद	फिरोजाबाद	जगनेर	जैतपुरकला
	7	8	9	10	11
1—स्थिति :					
1. कस्बों की सं०	1	1	1	1	—
2. बसे गांवों की सं०	75	95	99	48	75
3. ग्राम सभाओं की संख्या	71	90	99	52	75
(अ) कुल जनसंख्या	84468	111914	137273	59048	82478
(ब) ग्रामीण जनसं०	—	—	—	—	—
(स) शहरी जनसं०	—	—	—	—	—
(द) अ०जा०/ज० जातिकी संख्या	20867	18541	25527	13706	13077
(य) जनसं. का घनत्व	280	314	502	191	260

	7	8	9	10	11
1/2—व्यावसायिक वितरण :					
(अ) कामगारों की संख्या	14943	27487	20160	12662	16814
(ब) कृषि मजदूर	4021	3872	3027	1664	1551
(स) कृषि की सहा० क्रियायें	—	—	—	—	—
(द) कुटीर, घरेलू उद्योग	493	494	898	238	212
(य) अन्य उद्योग	—	—	—	—	—
(र) व्यापार व वाणिज्य	—	—	—	—	—
(ल) अन्य	4461	2528	14124	3121	2177
(व) कुल कामगार	23118	34381	38209	17685	20754
1/3. मूल भूत सुविधायें—					
(अ) विद्युत शक्ति ग्रामीण विद्युतीकरण					
1. पहले से सुविधा प्राप्त गांव	24	79	70	2	71
2. सातवीं योजना के सुविधा प्राप्त करने वाले गांव	—	—	—	—	—
3. सातवीं योजना में अतिरिक्त शक्ति (के० डब्लू० एच०) जो उपलब्ध हो सकती है	—	—	—	—	—

	7	8	9	10	11
(क) कृषि	—	—	—	—	—
(ख) उद्योग	—	—	—	—	—
(ग) घरेलू उद्योग	—	—	—	—	—
(घ) सड़क एवं संचार व्यवस्था पक्की सड़क की कुल लम्बाई					
(I) वर्तमान	35	55	73	70	63
(II) अतिरिक्त (सातवीं योजना में)	—	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		खेरागढ़	नारखी	पिनाहट	सैयां	शमशाबाद	टूंडला
		12	13	14	15	16	17
1—	स्थिति :						
	(1) कस्बों की संख्या	1	—	1	—	1	1
	(2) बसे गाँवों की संख्या	46	84	50	54	67	64
	(3) ग्राम सभाओं की संख्या	46	88	50	54	61	64
	(अ) कुल जन संख्या	87565	107228	69489	95212	109548	115653
	(ब) ग्रामीण जन-संख्या	—	—	—	—	—	—
	(स) शहरी जन संख्या	—	—	—	—	—	—

	12	13	14	15	16	17
(द) अनु० जा०/जन जा० की संख्या	19495	30553	11588	19294	25319	28182
(य) जन संख्या का घनत्व	350	434	238	413	410	460
1/2—व्यावसायिक वितरण :						
(अ) कामगारों की संख्या	16547	15716	16940	18730	20810	16072
(ब) कृषि मजदूर	3307	6573	976	4070	5731	4862
(स) कृषि सहा० क्रियायें	—	—	—	—	—	—
(द) कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग	684	943	130	413	1162	1044
(य) अन्य उद्योग	—	—	—	—	—	—
(र) व्यापार व वाणिज्य	—	—	—	—	—	—
(ल) अन्य	4130	5809	1087	3860	3787	8880
(व) कुल कामगर	24668	29041	19133	27073	31490	30858
1/3 —मूल भूत सुविधायें :						
अ—विद्युत शक्ति ग्रामीण विद्युतीकरण—						
(1) पहले से सुविधा प्राप्त गाँव	28	49	46	21	49	53
(2) सातवीं योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले गाँव	—	—	—	—	—	—

	12	13	14	16	16	17
(3) सातवीं योजना के अतिरिक्त शक्ति (के० डब्लू० एच०) जो उपलब्ध हो सकती है।	—	—	—	—	—	—
(क) कृषि	—	—	—	—	—	—
(ख) उद्योग	—	—	—	—	—	—
(ग) घरेलू उद्योग	—	—	—	—	—	—
ब—सड़क एवं संचार व्यवस्था—						
1. पक्की सड़क की कुल लम्बाई :—						
[I] वर्तमान	70	37	44	53	60	44
[II] अतिरिक्त (सातवीं योजना में)	—	—	—	—	—	—

क्रम सं०	विकास खंड		कुल जिला	
	खंदौली	कुल ग्रामीण	कुल शहरी	कुल आगरा
	18	19	20	21
1—स्थिति :				
(1) कस्बों की संख्या	—	—	—	14
(2) बसे गांवों की संख्या	46	1152	—	1152
(3) ग्राम सभाओं की संख्या	46	1131	—	1131
(अ) कुल जनसंख्या	117044	1766030	1086912	2852942
(ब) ग्रामीण जनसंख्या	—	1766030	—	—
(स) शहरी जनसंख्या	—	—	1086912	—

	18	19	20	21
(द) अनु० जा०/जन जाति की संख्या	29369	399546	232393	631942
(य) जनसंख्या का घनत्व	475	592	—	592

1/2. व्यवसायिक वितरण :

(अ) कामगरों की संख्या	16823	299947	6087	306034
(ब) कृषि मजदूर	5919	71649	3297	74946
(सं) कृषि की सहा० क्रियायें	—	—	—	—
(द) कुटीर, घरेलू उद्योग	1030	15928	19317	35245
(य) अन्य उद्योग	—	—	—	—
(र) व्यापार वाणिज्य	—	—	—	—
(ल) अन्य	8666	105832	261198	367230
(व) कुल कामगर	32438	493356	289899	783255

1/3. मूल भूत सुविधायें :

(अ) विद्युत शक्ति				
ग्रामीण विद्युतीकरण				
(1) पहले से सुविधा प्राप्त गांव	45	—	—	786
(2) सातवीं योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले गांव	—	—	—	—
सातवीं योजना में अतिरिक्त शक्ति (के० डब्लू० एच०) जो उपलब्ध हो सकती है				

	18	19	20	21
(क) कृषि	—	—	—	—
(ख) उद्योग	—	—	—	—
(ग) घरेलू उद्योग	—	—	—	—
(ब) सड़क एवं संचार व्यवस्था—				
(1) पक्की सड़क की कुल लम्बाई				
(I) वर्तमान	103	1151	771	1922
(II) अतिरिक्त	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आंकड़े

क्र० सं० आइटम	अहनेरा	अकोला	वाह	ब० अहीर	बिचपुरी	एत्मादपुर
	1	2	3	4	5	6
2. गैर पक्की सड़क की ल०						
(अ) वर्तमान	41	—	—	48	—	25
(ब) अतिरिक्त सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(1) कच्ची सड़क की कुल लम्बाई						
(अ) वर्तमान	22	—	—	29	—	60
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(2) रेल मार्ग की कुल लम्बाई						
(अ) वर्तमान	45	—	—	—	—	27
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(3) डाकघरों की संख्या एवं उनके अर्न्तगत आने वाले गांव						
(अ) वर्तमान						
(I) पोस्ट आफिस	18	12	13	17	10	21
(II) सुविधा प्राप्त गांव	58	41	77	74	45	61
(ब) सातवीं योजना में						
(I) पोस्ट आफिस	—	—	—	—	—	—
(II) सुविधा प्राप्त गांव	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
(4) तारघरों की संख्या एवं उनके अन्तगत आने वाले गांव						
(अ) वर्तमान						
(I) तार घर	—	2	—	—	2	—
(II) सुविधा प्राप्त गांव	—	—	—	—	—	—
(ब) सातवीं योजना में						
(I) तार घर	—	—	—	—	—	—
(II) सुविधा प्राप्त गांव	—	—	—	—	—	—
3. क्षेत्र का वितरण :						
अद्यतन आंकड़े हेक्टेअर में						
(I) कुल सूचित क्षेत्र	28830	17131	26714	24020	12729	32834
(II) शुद्ध कृषि क्षेत्र	23044	14622	16627	19516	8613	24387
(III) वर्तमान क्षेत्र	674	151	610	902	250	1873
(IX) जंगली क्षेत्र	837	—	6053	—	781	—
(VI) क्षेत्र जो कृषि हेतु उपलब्ध नहीं है	1341	665	1000	1494	1349	5065
(VII) अन्य गैर कृषि क्षेत्र	2934	1693	2424	2108	1703	1509

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम				
		फतेहपुर सीकरी	फतहा-बाद	फिरोजा-बाद	जगनेर	जैतपुर कला
		1	2	3	4	5
2.	गैर पक्की सड़क की कुल लम्बाई :					
	(अ) वर्तमान	—	35	26	—	—
	(ब) अतिरिक्त सातवीं योजना में	—	—	—	—	—
	(1)—कच्ची सड़कों की कुल लम्बाई—					
	(अ) वर्तमान	—	—	16	—	—
	(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—
	(2)—रेल मार्ग की कुल लम्बाई—					
	(अ) वर्तमान	—	—	24	—	—
	(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—
	(3)—डाकघरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव—					
	(अ) वर्तमान					
	[I] पोस्ट आफिस	18	16	16	11	17

	6	7	8	9	10
[II] सुविधा प्राप्त गाँव	77	95	99	49	77
(ब) सातवीं योजना में					
[I] डाक घर	—	—	—	—	—
[II] सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—
(4)—तार घरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव—					
(अ) वर्तमान					
[I] तारघर	—	—	—	1	1
[II] सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—
(ब) सातवीं योजना में					
[I] तारघर	—	—	—	—	—
[II] सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—

3. **क्षेत्र का वितरण :**

(अद्यतन आंकड़े हेक्टेअर में)

[I] कुल सूचित क्षेत्र	29850	35518	26764	31619	31153
[II] शुद्ध कृषि क्षेत्र	24790	25626	18723	19471	16896
[III] वर्तमान क्षेत्र	702	1332	929	2769	803
[IV] जंगली क्षेत्र	593	3484	2861	2959	10212
[V] क्षेत्र जो कृषि हेतु उपलब्ध नहीं है	2016	2467	2211	5166	1245
[VI] अन्य गैर कृषि क्षेत्र	1749	2409	2040	1260	1997

जनपद में स्थित विकास खण्डों के आँकड़े

क्र०सं० आइटम	विकास खंडों के नाम					
	खोरागढ़	नारखी	पिनाहट	सैयां	शमशाबाद	टूण्डला
	1	2	3	4	5	6
2. गैर पक्की सड़क की कुल लम्बाई						
(अ) वर्तमान	—	—	—	—	—	—
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(1) कच्ची सड़क की कुल लम्बाई						
(अ) वर्तमान	—	—	—	—	—	—
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(2) रेल मार्ग की कुल लम्बाई						
(अ) वर्तमान	—	—	—	—	—	20
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
(3) डाकघरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव						
(अ) वर्तमान						
(I) डाकघर	14	18	13	11	19	15
(II) सुविधा प्राप्त गाँव	48	84	52	54	67	64
(ब) सातवीं योजना में						
(I) डाकघर	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
(II) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—	—
(4) तारघरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव						
(अ) वर्तमान						
(I) तारघर	1	—	—	—	—	—
(II) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—	—
(ब) सातवीं योजना में						
(I) तारघर	—	—	—	—	—	—
(II) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—	—	—
3. क्षेत्र का वितरण :						
(अद्यतन आँकड़े हेक्टेयर)						
(I) कुल सूचित क्षेत्र	25133	24801	29471	23158	26590	20408
(II) शुद्ध कृषि क्षेत्र	20386	19231	17828	19779	22199	14760
(III) वर्तमान क्षेत्र	707	1170	755	765	966	915
(IV) जंगली क्षेत्र	813	—	7663	128	397	1410
(V) क्षेत्र जो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं है	1886	2671	1393	1209	1251	1380
(VI) अन्य गैर कृषि क्षेत्र	1341	1729	1832	1277	1777	1943

जनपद में स्थित विकास खण्डों के आँकड़े

क्र०सं० आइटम	विकास खंडों का नाम			कुल जिला
	खंदौली	ग्रामीण	शहरी	जिला
	1	2	3	4
2. गैर पक्की सड़क की कुल लम्बाई				
(अ) वर्तमान	—	—	—	175
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—
(1) कच्ची सड़क की कुल लम्बाई				
(अ) वर्तमान	—	—	—	160
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—
(2) रेल मार्ग की कुल लम्बाई				
(अ) वर्तमान	5	—	—	121
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—
(3) डाक घरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव				
(अ) वर्तमान				
(i) डाक घर	16	275	94	369
(ii) सुविधा लेने वाले गाँव	50	1172	—	1172
(ब) सातवीं योजना में				
(i) डाकघर	—	—	—	—
(ii) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—

	1	2	3	4
(4) तार घरों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत आने वाले गाँव				
(अ) वर्तमान				
(i) तार घर	—	—	—	—
(ii) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—
(ब) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—
(i) तार घर	—	—	—	—
(ii) सुविधा प्राप्त गाँव	—	—	—	—
3. क्षेत्र का वितरण				
(अद्यतन आँकड़े हेक्टेअर में)				
(i) कुल सूचित क्षेत्र	18941	476787	—	476787
(ii) शुद्ध कृषि क्षेत्र	13507	344498	—	344498
(iii) वर्तमान क्षेत्र	1117	17852	—	17852
(iv) जंगली क्षेत्र	905	39616	—	39616
(v) क्षेत्र जो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं है	1708	37017	—	37017
(vi) अन्य गैर कृषि क्षेत्र	1704	37804	—	37804

जनपद में स्थित विकास खण्डों के आँकड़े

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम						
	अछ-नेरा	अकोला	बाह	ब० अहीर	बिच-पुरी	एत्माद-पुर	फ० सीकरी
	1	2	3	4	5	6	7
4—सिंचाई :							
1. शुद्ध सिंचित क्षेत्र	18606	13823	5002	20897	9122	16326	16882
2. प्रतिशत सिंचित क्षेत्र	80.5	98.03	30.87	95.85	87.71	88.72	77.44
3. सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)							
(अ) सरकारी नलकूप द्वारा	—	—	976	38	5	31	—
(ब) निजी नलकूप द्वारा	3037	9141	3956	13120	6618	12466	9369
(स) अन्य कुएं द्वारा	557	21	54	567	103	139	618
(द) नहरों द्वारा	8986	4661	—	2690	2395	3661	6894
(य) अन्य (तालाब) द्वारा	6026	—	6	4482	1	29	1

	1	2	3	4	5	6	7
5—फसल पद्धति :							
1. द्वि-फसली/ बहु-फसली क्षेत्र	8580	8146	3960	9707	5421	2018	7361
2. कुल फसली क्षेत्र	31624	22768	20587	29223	14064	26405	32151
3. मुख्य फसलों का क्षेत्र							
(अ) गेहूँ	15869	10492	4359	8506	5722	11178	11711
(ब) जौ	1090	622	1585	1427	312	2214	1001
(स) बाजरा	5188	5657	6442	8343	2445	8037	6222
(द) लाहा	2076	1616	2743	2302	709	1954	5658
(य) धान	493	63	1	5	391	223	73
6—जोत का क्षेत्रफल :							
(अ) एक हेक्टेयर से कम	9688	3841	1840	9580	—	9495	4891
(ब) 1 से 2 हेक्टेयर के बीच	4396	3819	9135	4438	2996	5116	4436
(स) 2 से 10 हेक्टेयर के बीच	5508	1795	972	2075	1100	6550	2529
(द) 10 और उससे ज्यादा	121	124	—	126	—	191	193
7—रासायनिक खाद की खपत :	1607	1086	455	1814	1526	1482	771

	1	2	3	4	5	6	7
(अ) सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर खाद की औसत खपत	48	52	24	90	101	59	22
8—**कृषि उपकरण :**							
(अ) ट्रैक्टरों की संख्या—							
(ब) पावर टिलरों की संख्या	447	133	58	163	150	130	256
(स) सिंचाई के पम्प सेट	220	—	—	—	—	—	—
[I] आयल इंजन	3037	2371	256	3677	724	771	500
[II] विद्युत इंजन	28	—	852	234	1000	796	1676
[III] पावर थ्रेसर	447	—	—	407	—	160	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		फतहाबाद	फिरोजाबाद	जगनेर	जैतपुरकला	खोरागढ़	नारखी
		1	2	3	4	5	6
4.	सिंचाई :						
	1. शुद्ध सिंचित क्षेत्र	12470	12522	5336	3058	3200	6503
	2. प्रतिशत सिंचित क्षेत्र	50.80	66.25	54.44	18.20	76.30	84.63
	3. सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)						
	(अ) सरकारी नलकूप द्वारा	361	476	—	307	—	593
	(ब) निजी नलकूप द्वारा	10582	11121	1356	2666	6228	13385
	(स) अन्य कुओं द्वारा	391	104	3669	85	928	276
	(द) नहरों द्वारा	1136	799	—	—	6041	2245
	(य) अन्य (तालाब आदि) द्वारा	—	22	11	—	3	4
5.	फसल पद्धति						
	1. द्विफसली/बहुफसली क्षेत्र	7326	8608	3509	2554	7241	8498
	2. कुल फसली क्षेत्र	33152	27331	22980	19454	27627	27729

	1	2	3	4	5	6
3. मुख्य फसलों का क्षेत्र						
(अ) गेहूँ	6406	8997	5121	2937	9132	11030
(ब) जौ	2506	2754	483	2107	463	2964
(स) बाजरा	11768	9760	5953	6569	6954	6904
(द) लाहा	4603	1414	5437	2186	4467	1366
(य) धान	11	20	7	23	233	414

6. जोत का क्षेत्रफल :						
(अ) एक हेक्टेयर से कम	3291	6061	—	—	—	—
(ब) 1 से 2 हेक्टेयर तक	5296	3013	7565	—	8184	8788
(स) 2 से 10 हेक्टेयर के बीच	2543	976	7307	—	3460	5152
(द) 10 और उससे ज्यादा	154	99	—	—	—	—

7. रासायनिक खाद की खपत	1058	1428	403	289	935	1148
(अ) सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर खाद की औसत खपत	40	52	36	16	40	42

8. कृषि उपकरण :

(अ) ट्रैक्टरों की संख्या

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7826
DOC, No ...
Date ... 27-10-93

	1	2	3	4	5	6
(ब) पावर टिलरों की संख्या	77	120	75	—	112	87
(स) सिंचाई के पम्प सैट	220	—	—	—	—	—
[I] आयल इंजन	500	412	904	500	1505	1502
[II] विद्युत इंजन	1566	973	—	54	500	800
[III] पावर थ्रेशर	—	120	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम				
	पिनाहट	सैयाँ	शमशाबाद	टूण्डला	खंदौली
	1	2	3	4	5
4—सिंचाई :					
1. शुद्ध सिंचित क्षेत्र	3818	15456	17485	13506	13916
2. प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का	21.81	83.04	79.89	69.81	71.36
3. सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
(अ) सरकारी नलकूप द्वारा	925	—	415	38	480
(ब) निजी नलकूम द्वारा	2823	9315	14215	10331	11469
(स) अन्य कुओं द्वारा	67	1355	273	91	72
(द) नहरों द्वारा	—	4486	2582	3002	1834
(य) अन्य (तालाबों) द्वारा	3	300	—	44	58
5—फसल पद्धति :					
1. द्विफसली/बहुफसली क्षेत्र	2479	7881	9438	10946	12461

	1	2	3	4	5
2. कुल फसली क्षेत्र	20307	27660	31637	25706	25968
3. मुख्य फसलों का क्षेत्र					
(अ) गेहूँ	3818	7639	8512	9443	6677
(ब) जौ	1643	841	1369	2460	1678
(स) बाजरा	6427	7972	11030	8319	8805
(द) लाहा	2356	5203	3697	2012	3171
(य) धान	—	28	4	303	15
6—जोत का क्षेत्रफल :					
(अ) 1 हेक्टेयर से कम	—	—	—	2081	—
(ब) 1 से 2 हेक्टेयर के बीच	—	3595	—	6611	—
(स) 2 से 10 के बीच	—	5377	—	9307	—
(द) 10 और उससे ज्यादा	—	—	—	1713	—
7—रासायनिक खाद की खपत :	398	701	981	79	1678
(अ) सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर खाद की औसत खपत	—	—	—	38	—
8—कृषि उपकरण :					
(अ) ट्रेक्टरों की संख्या	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5
(ब) पावर टिलरों की संख्या	—	200	167	86	130
(स) सिंचाई के पम्प सैट	—	—	—	—	60
[I] आयल इंजन	501	2142	1000	1854	24030
[II] विद्युत इंजन	52	1005	1088	459	484
[III] पावर थ्रेशर	—	—	257	334	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं०	आइटम	ग्रामीण	शहरी	कुल जिला
		1	2	3
4—	**सिंचाई :**			
	(1) शुद्ध सिंचित क्षेत्र	227928	—	227928
	(2) प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का	68.92	—	68.92
	(3) सिंचित क्षेत्र (हेक्टेअर में)			
	(अ) सरकारी नलकूप द्वारा	4655	—	4655
	(ब) निजी नलकूप द्वारा	151198	—	151198
	(स) अन्य कुओं द्वारा	9682	—	9682
	(द) नहरों द्वारा	51413	—	51413
	(य) अन्य (तालाबों) द्वारा	10990	—	10990
5—	**फसल पद्धति :**			
	(1) द्विफसली/बहुफसली क्षेत्र	126254	—	126254
	(2) कुल फसली क्षेत्र	470752	—	470752
	(3) मुख्य फसलों का क्षेत्र			
	(अ) गेहूँ	147549	1784	149333
	(ब) जौ	27619	100	27719
	(स) बाजरा	132795	1741	134536
	(द) लाहा	52872	379	53251
	(य) धान	2507	8	2515

	1	2	3
6—जोत का क्षेत्रफल			
(अ) 1 हेक्टेअर से कम	49768	—	49768
(ब) 1 से 2 हेक्टेअर के बीच	77388	—	77388
(स) 2 से 10 हेक्टेअर के बीच	49651	—	49651
(द) 10 और उससे ज्यादा	2724	—	2724
7—रासायनिक खाद की खपत	17839	—	17839
(अ) सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेअर खाद की औसत खपत	792	—	792
8—कृषि उपकरण :			
(1) ट्रेक्टरों की संख्या			
(2) पावर टिलरों की संख्या	2391	—	2391
(3) सिंचाई के पम्प सैट	280	—	280
(अ) आयल इंजन	24030	—	24030
(ब) विद्युत इंजन	11567	—	11567
(स) पावर थ्रेशर	1725	—	1725

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		अछनेरा	अकोला	बाह	बरौली अहीर	बिचपुरी	एत्माद-पुर
		1	2	3	4	5	6
	9—पशु :						
	1. खेत जोतने वाले पशु	5457	5493	6745	3307	2676	5215
	2. दूध देने वाले पशु						
	(अ) भैंस	14025	14359	10843	6400	12067	10782
	(ब) गाय	3840	4581	11682	6516	4087	5320
	(स) अन्य (बकरी, सूअर)	18008	15454	20180	18036	10866	11147
	3. कुक्कुट	2195	1222	773	1477	11308	968
	10—उद्योग :						
	1. वृहद उद्योगों की संख्या	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
2. लघु उद्योगों की संख्या						
(अ) पंजीकृत	5	1	9	4	—	4
(ब) अपंजीकृत	172	87	296	503	242	—
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत इकाई	13	—	—	—	12	3
(अ) इन इकाइयों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	1116	—	—	—	525	445
4. कुटीर, ग्रामीण घरेलू उद्योग						
(अ) हथकरघा	43	—	—	275	—	—
(ब) कताई एवं बुनाई	—	—	—	—	—	30
(स) खादी इकाइयाँ	—	85	—	—	—	10
(द) तेल घानी	8	10	28	53	22	8
(ड) जूता इकाइयाँ	65	125	40	728	45	30
(क) चमड़ा मजदूर	—	3	—	1500	—	—
(ख) काष्ठकला उद्योग	21	2	4	35	—	45
(ग) लुहारगीरी	16	2	10	27	—	40
(घ) सुनारगीरी	9	5	—	7	—	15
(य) लकड़ी का काम	2	—	—	25	—	15
(र) धातु का काम	4	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
(ल) बान बनाना	—	—	10	—	—	—
(ब) माचिस बनाना	—	—	—	—	—	—
(श) मिट्टी के बर्तन बनाना	50	—	—	67	—	—
(स) खिलौने बनाना	5	—	—	5	—	15
(ह) घरेलू संसाधन इकाइयाँ	—	—	—	—	—	15
(प) टोकरी बनाना	—	—	—	—	—	—
(फ) अन्य उद्योग	—	—	—	—	—	25
(ब) स्वरोजगार में लगी इकाई	—	—	—	251	—	—

जनपद में स्थित विकास खण्डों के आँकड़े

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम				
	फ० सीकरी	फतहाबाद	फिरोजाबाद	जगनेर	जैतपुर कला
	1	2	3	4	5
9—पशु :					
1. खेत जोतने वाले पशु	4848	9252	6539	5739	6435
2. दूध देने वाले पशु					
(अ) भैंस	14840	18926	13887	8394	8503
(ब) गाय	4201	11889	11893	6855	9427
(स) अन्य (बकरी, सूअर आदि)	17600	29614	13302	15916	17261
3. कुक्कुट	2570	1554	977	746	1047
10–उद्योग :					
1. वृहद उद्योगों की संख्या	—	—	—	—	1
2. लघु उद्योगों की संख्या					
(अ) पंजीकृत	2	15	1	6	1
(ब) अपंजीकृत	66	—	—	—	—

	1	2	3	4	5
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत इकाइयाँ	—	—	6	—	—
(अ) इन इकाइयों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	—	—	294	—	—
4. कुटीर/ग्रामीण/ घरेलू उद्योग					
(अ) हथकरघा	15	—	—	—	15
(ब) कताई-बुनाई इकाइयाँ	—	—	—	—	6
(स) खादी इकाइयाँ	—	—	—	—	—
(द) तेलघानी	15	30	5	8	18
(ह) जूता इकाइयाँ	7	30	50	60	15
(क) चमड़ा उद्योग	—	—	—	—	—
(ख) काष्ठकला उद्योग	5	15	—	2	2
(ग) लुहागीरी	6	12	—	—	—
(घ) सुनारगीरी	—	—	—	—	—
(य) लकड़ी का काम	—	—	—	—	—
(र) धातु का काम	—	—	—	—	—
(ल) गुड़ बनाना	—	7	—	—	—
(व) बान बनाना	2	9	50	—	2
(श) माचिस बनाना	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5
(स) मिट्टी के बर्तन बनाना	1	—	—	3	—
(द) खिलौने बनाना	—	—	—	—	—
(प) घरेलू संसाधन इकाई	—	—	—	—	—
(फ) टोकरी बनाना	—	—	10	—	3
(ब) अन्य उद्योग	44	60	10	—	—
(भ) स्वरोजगार में लगी अन्य इकाइयाँ	—	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं० आइटम	विकास खंडों के नाम					
	खेरागढ़	नारखी	पिनाहट	सैंया	शमशाबाद	टूण्डल
	1	2	3	4	5	6
9—पशु :						
1. खेत जोतने वाले पशु	3567	8985	8616	6463	6336	5822
2. दूध देने वाले पशु						
(अ) भैंस	5962	15954	8874	16332	17822	11316
(ब) गाय	2945	4141	7724	3532	7604	7470
(स) अन्य (बकरी, सूअर आदि)	10252	16400	18519	22444	23317	15110
3. कुक्कुट	451	1446	959	810	4202	1839
10–उद्योग :						
1. वृहद उद्योगों की संख्या	—	—	—	—	—	1
2. लघु उद्योगों की संख्या						
(अ) पंजीकृत	5	1	—	1	5	15
(ब) अपंजीकृत	39	—	—	33	50	484

	1	2	3	4	5	6
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत इकाइयाँ	—	—	—	1	—	1
(अ) इन इकाइयों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	—	—	—	—	—	60
4. कुटीर उद्योग/ग्रामीण घरेलू उद्योग						
(अ) हथकरघा	—	5	—	—	—	76
(ब) कताई-बुनाई इकाइयाँ	—	—	—	—	—	—
(स) खादी इकाइयाँ	—	—	—	—	—	—
(द) तेल घानी	39	60	2	7	10	10
(ड) जूता इकाइयाँ	20	60	2	5	8	40
(क) चमड़ा उद्योग	—	—	—	—	—	38
(ख) काष्ठकला उद्योग	—	10	2	6	55	55
(ग) लुहारगीरी	—	5	3	5	46	6
(घ) सुनारगीरी	—	—	—	—	—	10
(य) लकड़ी का काम	—	—	—	—	—	—
(र) धातु का काम	—	—	—	—	—	—
(ल) गुड़ बनाना	—	—	—	—	—	—
(व) बान बनाना	—	60	—	—	4	—

	1	2	3	4	5	6
(श) माचिस बनाना	—	—	—	—	—	—
(स) मिट्टी के बर्तन बनाना	—	—	—	5	54	72
(ह) खिलौने बनाना	—	—	—	—	—	—
(प) घरेलू संसाधन इकाइयाँ	—	—	—	—	—	—
(फ) टोकरी बनाना	—	5	3	—	—	—
(ब) अन्य उद्योग	—	6	—	16	—	—
(भ) स्वरोजगार में लगी अन्य इकाइयाँ	—	—	—	—	—	—

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम			
		खंदौली	ग्रामीण	शहरी	कुल जिला
		1	2	3	4
9—	**पशु :**				
	1. खेत जोतने वाले पशु	5146	104631	—	—
	2. दूध देने वाले पशु				
	(अ) भैंस	10408	219694	—	—
	(ब) गाय	8361	122018	—	—
	(स) अन्य (बकरी, सूअर आदि)	14203	307629	—	—
	3. कुक्कुट	1949	36493	—	—
		कुल पशु धन	790645	169521	959986
10—	**उद्योग :**				
	1. वृहद उद्योगों की संख्या	—	1	—	1
	2. लघु उद्योगों की संख्या				

	1	2	3	4
(अ) पंजीकृत	10	85	—	85
(ब) अपंजीकृत	202	2180	—	2180
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत इकाइयाँ	7	43	363	405
(अ) इन इकाइयों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या	118	—	32712	35260
4. कुटीर/ग्रामीण घरेलू उद्योग				
(अ) हथकरघा	68	497	—	497
(ब) कताई-बुनाई इकाइयाँ	91	127	—	127
(स) खादी इकाइयाँ	—	95	—	95
(द) तेल घानी	7	340	—	340
(ड) जूता इकाइयाँ	35	1383	—	1383
(क) चमड़ा उद्योग	13	1554	—	1554
(ख) काष्ठकला उद्योग	94	353	—	353
(ग) लुहारगीरी	29	212	—	212
(घ) सुनारगीरी	—	41	—	41
(य) लकड़ी का काम	—	42	—	42
(र) धातु का काम	—	4	—	4
(ल) गुड़ बनाना	—	9	—	9

	1	2	3	4
(व) बान बनाना	110	247	—	247
(श) माचिस बनाना	—	—	—	—
(स) मिट्टी के बर्तन बनाना	99	351	—	351
(ह) खिलौने बनाने की इकाइयाँ	—	25	—	25
(प) घरेलू संसाधन	106	121	—	121
(फ) टोकरी बनाना	—	21	—	21
(ब) अन्य उद्योग	—	161	—	161
(भ) स्वरोजगार में लगी इकाइयाँ	119	370	—	370

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र०सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		अछनेरा	अकोला	बाह	बरौली अहीर	बिचपुरी	एत्माद पुर
		1	2	3	4	5	6
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	2	1	—	1
7.	स्कूलों की संख्या						

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		अछनेरा	अकोला	बाह	ब० अहीर	बिचपुरी	एत्मादपुर
		1	2	3	4	5	6
11 [क]	बाजार						
	1. नियमित बाजार	—	—	—	—	—	—
	2. वर्तमान						
	[अ] बाजार	—	—	1	—	—	—
	(सहकारी विपणन समितियाँ	1	—	—	1	—	—
11 [ख]	अनियमित मान्यता प्राप्त बाजारों की संख्या एवं शामिल गाँव						
	1. वर्तमान						
	[अ] बाजार	4	6	4	3	2	2
	[ब] शामिल गाँव	—	—	—	—	—	—
11 [ग]	गाँव की मंडी/ साप्ताहिक बाजार						
	[अ] वर्तमान	6	—	2	9	—	—

	1	2	3	4	5	6
[ब] सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—
11/[घ] सहकारी/कृषि विभाग के बीज स्टोर की संख्या	12	10	8	11	8	4
[अ] बीजों की मात्रा	900	500	40	1200	—	80
[ब] निजी विक्रेताओं द्वारा खाद की मात्रा बेची गई	650	—	—	1432	—	—
12. बैंक कार्यालय						
[अ] स्टेट बैंक समूह	2	—	2	—	1	2
[ब] अन्य सार्वजनिक बैंक	2	6	3	2	3	5
[स] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	—	5	4	—	—
[द] कृषि विकास शाखायें	—	—	—	—	—	—
[य] अन्य	—	—	—	—	—	—
13. सहकारी बैंकों की संख्या						
[अ] जिला सहकारी बैंक	1	1	1	1	1	1
[ब] भूमि विकास बैंक	1	—	1	1	—	1
[स] शहरी सहकारी बैंक	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
14. सहकारी समितियाँ						
[अ] प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ	7	5	8	3	2	8
[ब] सदस्यों की संख्या	1097	866	1325	801	754	579
15. अन्य सूचनाएँ						
1. दुग्ध संग्रह केन्द्रों के नाम	—	—	बाह	—	—	खाड़ा बरहन
2. गाँव जहाँ पशु चिकित्सालय हैं।	4	5	5	6	6	3
3. उन गाँवों के नाम जहाँ ग्रामीण उद्योग अधिकता में हैं।	अभयपुरा,	एदोया	— —	कला लखेड़िया	रौहता	— —
4. पुलिस स्टेशनों की संख्या	3	1	5	2	—	2
5. अस्पतालों की संख्या	2	1	—	1	—	1

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम				
		फ० सीकरी	फतहाबाद	फिरोजाबाद	जगनेर	जैतपुर कला
		1	2	3	4	5
11/[क]	बाजार					
	1. नियमित बाजार वर्तमान :—					
	[अ] बाजार	—	1	1	1	—
	[ब] शामिल गाँव	—	—	—	—	—
	[स] सहकारी विपणन समितियाँ	—	1	1	—	—
11/[ख]	अनियमित मान्यता प्राप्त बाजारों की संख्या एवं शामिल गाँव वर्तमान :—					
	[अ] बाजार	2	2	—	2	1
	[ब] शामिल गाँव	—	—	—	—	—
11/[ग]	गाँव की मंडी/ साप्ताहिक बाजार					
	[अ] वर्तमान	—	—	—	—	—
	[ब] सातवीं योजना में	—	—	—	—	—
11/[घ]	सहकारी/कृषि विभाग के बीज					

	1	2	3	4	5
स्टोरों की संख्या	4	12	12	8	4
[अ] बीजों की मात्रा	10	10	200	5	5
[ब] निजी विक्रेताओं द्वारा बेची गई खाद की मात्रा	—	—	2300	—	—
12. बैंक कार्यालय					
[अ] स्टेट बैंक समूह	—	1	3	1	1
[ब] अन्य सार्वजनिक बैंक	4	2	15	2	1
[स] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	4	1	3	3
[द] कृषि विकास शाखाएँ	—	—	—	—	—
[य] अन्य	—	—	—	—	—
13. सहकारी बैंकों की संख्या					
[अ] जिला सहकारी बैंक	1	1	1	1	1
[ब] भूमि विकास बैंक	—	1	1	—	—
[स] शहरी सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
14. सहकारी समितियाँ					
[अ] प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ	8	10	10	3	8
[ब] सदस्यों की संख्या	1230	780	412	368	500

	1	2	3	4	5
15. अन्य सूचनाएँ :—					
1. दुग्ध संग्रह केन्द्रों के नाम	—	बजीरपुर, फतहाबाद, पैंतीखेड़ा	—	—	—
2. उन गाँवों की संख्या जहाँ पशु चिकित्सालय हैं।	1	4	10	3	2
3. उन गाँवों के नाम जहाँ ग्रामीण उद्योग अधिकता में हैं।					
4. पुलिस स्टेशनों की संख्या	—	2	2	1	2
5. अस्पतालों की संख्या	2	—	—	1	2
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	1	1	1	1
7. स्कूलों की संख्या	—	—	—	—	90

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्र० सं०	आइटम	विकास खंडों के नाम					
		खेरागढ़	नारखी	पिनाहट	सैंया	शमशाबाद	टूण्डला
		1	2	3	4	5	6
11/[क]	बाजार						
	नियमित बाजार						
	वर्तमान :—						
	(अ) बाजार	1	—	—	—	1	1
	(ब) शामिल गाँव	—	—	—	—	—	—
	(स) सहकारी विपणन समितियाँ	1	—	—	—	—	—
11/[ख]	अनियमित मान्यता प्राप्त बाजारों की संख्या एवं शामिल गाँव :–						
	1. वर्तमान						
	(अ) बाजार	2	3	1	3	2	0
	(ब) शामिल गाँव	—	—	—	—	—	—
11/[ग]	गाँव की मंडी/ साप्ताहिक बाजार						
	(अ) वर्तमान	—	—	—	—	—	2
	(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	9
11/[घ] सहकारी/कृषि विभाग के बीज स्टोरों की संख्या	12	8	6	8	11	8
(अ) बीजों की मात्रा	5	10	5	5	110	200
(ब) निजी बिक्रेताओं द्वारा बेची गई खाद की मात्रा	—	—	—	—	17	11
12. बैंक कार्यालय						
(अ) स्टेट बैंक समूह	1	1	—	—	2	3
(ब) अन्य सार्वजनिक बैंक	1	4	1	3	2	5
(स) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	2	5	3	2	—
(द) कृषि विकास शाखाएँ	—	—	—	—	—	—
13. सहकारी बैंकों की संख्या						
(अ) जिला सहकारी बैंक	01	1	1	1	1	1
(ब) भूमि विकास बैंक	—	—	—	—	—	—
(स) शहरी विकास बैंक	—	—	—	—	—	—
14. सहकारी समितियाँ						
(अ) प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ	9	9	6	9	8	8
(ब) सदस्यों की संख्या	922	973	440	1113	652	1004
15. अन्य सूचनाएँ :-						
(1) दुग्ध संग्रह केन्द्रों के नाम	खेरागढ़ न० कमाल	—	—	सैंया लादूखेड़ा	शमशाबाद	—

	1	2	3	4	5	6
(2) उन गाँवों की संख्या जहाँ पशु चिकित्सालय हैं।	3	4	2	2	3	—
(3) उन गांवों के नाम जहाँ ग्रामीण उद्योग अधिकता में हैं।	—	—	—	—	—	—
(4) पुलिस स्टेशनों की संख्या	1	1	1	2	2	1
(5) अस्पतालों की संख्या	—	2	2	2	2	1
(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	1	1	1	1
(7) स्कूलों की संख्या	70	78	60	64	72	78

जनपद में स्थित विकास खंडों के आँकड़े

क्रम सं० आइटम	विकास खंडों के नाम			
	खंदौली	ग्रामीण	शहरी	कुल जिला
	1	2	3	4
11/[क] नियमित बाजार वर्तमान	1	9	—	9
(अ) बाजार	1	8	—	9
(ब) शामिल गाँव	—	—	—	—
(स) सहकारी विपणन समितियाँ	—	5	—	5
11/[ख] अनियमित मान्यता प्राप्त बाजारों की संख्या एवं शामिल गाँव वर्तमान :				
(अ) बाजार	3	42	—	42
(ब) शामिल गाँव	—	—	—	—
11/[ग] गाँव की मंडी/ साप्ताहिक बाजार				
(अ) वर्तमान	4	23	—	23
(ब) सातवीं योजना में	—	—	—	—
11/[घ] सहकारी कृषि विभाग के बीज स्टौर की संख्या :—				

	1	2	3	4
(अ) बीजों की मात्रा	135	3420	—	3420
(ब) निजी विक्रेता	17	108	—	108
बेची गयी खाद की मात्रा	15	575	4382	4957
12. बैंक कार्यालय				
(अ) स्टेट बैंक शाखायें	2	22	17	39
(ब) अन्य व्यावसायिक बैंक	2	63	78	141
(स) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	42	1	43
(द) कृषि विकास शाखायें	—	—	—	—
13. सहकारी बैंकों की संख्या				
(अ) जिला सहकारी बैंक	1	18	—	18
(ब) भूमि विकास बैंक	1	8	—	8
(स) शहरी सहकारी बैंक	—	—	—	—
14. सहकारी समितियाँ				
(अ) प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ	7	128	—	128
(ब) सदस्यों की संख्या	893	14709	—	14709
15. अन्य सूचनाएँ :—				
(1) दुग्ध संग्रह केन्द्रों के नाम	—	11	4	15
(2) उन गाँवों की संख्या जहां पशु चिकित्सालय हैं।	—	63	—	63
(3) उन गाँवों के नाम जहाँ ग्रामीण उद्योग अधिकता में है।	पैतीखेड़ा	—	—	—

	1	2	3	4
(4) पुलिस स्टेशन की संख्या	2	30	16	46
(5) अस्पतालों की संख्या	1	15	5	20
(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	1	13	5	18
(7) स्कूलों की संख्या	82	—	—	—

बिन्दु-16

विपणन :

(अ) **उत्पादन का प्रकार**—खाद्यान्न, बान, साबुन, डिटरजैन्ट, काष्ठ, लौह, चर्म, कुम्हारी, ताड़, गुड़, फर्नीचर, मार्बिल का सामान, पच्चीकारी, जरदौजी का सामान, उन्नत कृषि यंत्र, कन्डयूड पाइप, आटो पार्ट्स, डीजज इंजन पार्ट्स, बेकरी व कन्फेक्शनरी, मोमबत्ती, मसाले, पौलीथीन के थैले, साइकिल के रबर के पुर्जे, प्लास्टिक का सामान, ब्लीचिंग पाउडर, लकड़ी का बिजली का सामान, सिले-सिलाये कपड़े, ट्यूब लाइट्स की बेस पट्टी, कूलर की बौड़ी, निवाड़ व टेप, सर्जीकल का प्लास्टिक का सामान, सर्जिकल बेन्डेज, बैलगाड़ी, खड़िया, चाक, स्लेट व टॉकी, स्कूल बैग व हैण्ड बैग, पैकिंग के डिब्बे, कार्ड बोर्ड, काँच का सामान, सजावट का सामान, सीमेंट की पानी की टंकियाँ, सीमेंट का इमारती सामान, पाइप, घरेलू रसोई का सामान, शिक्षण-सामग्री, रजिस्टर, पुस्तकें-प्रकाशन, आदि वस्तुओं का उत्पादन होता है किन्तु यह अपर्याप्त है। क्योंकि आगरा व्यापार का मुख्य केन्द्र है। यहाँ बाजारों की कुल संख्या 9 है सहकारी विपणन समितियाँ 3426 हैं। अनियमित मान्यता प्राप्त गाँवों में बाजार की संख्या 42 है।

बिन्दु-17

शिक्षा :

बेसिक शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से जनपद में वर्ष 88-89 में बेसिक परिषदीय 1380 प्राइमरी स्कूल तथा 163 जूनियर हाईस्कूल थे। इसके अतिरिक्त 261 मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल तथा 251 जूनियर हाईस्कूल में। इस प्रकार जनपद में कुल 2055 स्कूल थे। उक्त विद्यालयों में प्राइमरी में 329092 बालक-बालिकाओं का नामांकन किया गया तथा जूनियर हाईस्कूल में 103034 बालक-बालिकाओं का नामांकन किया गया।

जनपद आगरा में वर्ष 88-89 में बालकों के 2 राजकीय तथा 43 अशासकीय

हाईस्कूल हैं और बालिकाओं के 3 राजकीय एवं 11 अशासकीय हाईस्कूल हैं। जनपद में एक राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज एवं 65 इण्टर कालेज अशासकीय बालक विद्यालय हैं तथा बालिकाओं के दो राजकीय तथा 23 अशासकीय बालिक इण्टरमीडिएट कालेज हैं।

प्रौढ़ शिक्षा :

वर्ष 88-89 में 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बरौली अहीर, शमशाबाद, खंदौली तथा एत्मादपुर, टूण्डला, फिरोजाबाद विकास खंडों में खोले गये जिसमें 156 पुरुष तथा 444 महिला केन्द्र थे, जिनमें कुल पंजीकृत प्रतिभागी 18001 थे।

इस जनपद में वर्ष 88-89 में आई० टी० आई० प्रशिक्षण विद्यालय 2, इंजीनियरिंग कालेज 2, बी० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज 1, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय 1 हैं।

बिन्दु–18

अन्य सूचना :

(1) आगरा जनपद में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित है।

(2) सन् 1980 में केन्द्रीय सरकार की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत द्वितीय चरण में जिला उद्योग केन्द्र योजना का श्रीगणेश इस जनपद में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में आवश्यक सभी सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें एक ही छत के नीचे कच्चा माल, वित्त, प्राविधिक परामर्श, मशीन एवं उपकरण, विपणन एवं कोटि नियंत्रण की सुविधाएँ आदि की व्यवस्था करना हैं। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को जो अनेक सुविधाएँ सुलभ करायी जाती हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) उद्योगों का चयन, तकनीकी परामर्श :

जनपद में सम्भावित उद्योगों के चयन में नवीन उद्यमियों को वांछित साहित्य उपलब्ध कराना, तकनीकी जानकारी, उत्पादन प्रकिया, मशीन एवं कच्चे माल आदि के सप्लायरों के ठिकाने आदि का ज्ञान कराया जाता है। विशिष्ट योजनाओं के लिए यू० पी० कन्सलटैन्ट्स लि०, जी० टी० रोड कानपुर एवं केन्द्रीय सरकारी एजेन्सी लघु उद्योग सेवा संस्थान, एफ-208 कमला नगर, आगरा से भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती

है । वृहद परियोजनाओं के लिएँ शासन से अभिस्वीकृत परामर्श दाता भी उपलब्ध हैं ।

(ख) उद्योगों का पंजीकरण :

(i) उद्योगों के चयन के पश्चात प्रस्तावित उद्योग का पंजीकरण तुरन्त प्रदान कर दिया जाता है ।

(ii) उत्पादन में आने के पश्चात लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण कर दिया जाता हैं ।

(ग) विद्युत :

पंजीकरण के उपरान्त आवश्यक विद्युत शक्ति हेतु उद्यमी को जिला स्तर पर तुरन्त ही आवेदित करा दिया जाता है । 25 अश्वशक्ति तक जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत कराये जाते हैं । उससे ऊपर विद्युत परिषद, लखनऊ द्वारा पावर स्वीकृत की जाती है ।

(घ) कार्यशाला एवं भूमि की सुविधा :

(i) **हाथरस रोड औद्योगिक क्षेत्र**—फाउन्ड्री नगर के नाम से परिचित इस औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना वर्ष 1976-से स्वीकृत हुई थी । इस हेतु 184 एकड़ भूमि प्राप्त कराके 207 भूखंडों का विकास किया गया जिसमें अधिकांश भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं ।

(ii) **मथुरा रोड, सिकन्दरा एवं अरतौनी रोड**—इस क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसमें 74 भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं ।

(iii) **औद्योगिक आस्थान, नुनिहाई**—इस आस्थान में 70·5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर 112 शैड तथा 71 विकसित भूखंड बनाये गये जो कि सभी आवंटित किये जा चुके हैं और इकाइयों में उत्पादन चल रहा है ।

(च) वित्तीय सुविधाएँ :

(i) **जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना**—जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण की सुविधा टाइनी सैक्टर की उन इकाइयों, जिनकी परियोजना एवं मशीनरी पर 2·00 लाख रु० से अनाधिक पूँजी निवेश हुआ हो, की देय होगी । सामान्य जाति के उद्यमियों को उनके उद्योग की लागत का 10 प्रतिशत तथा निर्बल वर्ग के (अनुसूचित

जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग के) के उद्यमियों को 15 प्रतिशत अथवा 30,000 जो भयी कम हो मार्जि न मनी ऋण के रूप में 10 प्रतिशत ब्याज पर देय होगी। इसकी अदायगी 8 वर्ष के पश्चात अथवा वित्तीय संस्थाओं से उद्यमियों द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज। सहित पूर्ण भुगतान (जो भी अवधि पहले समाप्त हो) 14 छमाही किश्तों में की जायगी समय से भुगतान करने की दशा में ब्याज दर में 3·5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(ii) **मार्जिन मनी ऋण योजना**—शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को 9 प्रतिशतों वार्षिक ब्याज दर पर योजना की लागत के 10 प्रतिशत तक अधिकतम 20,000 रु० तक का मार्जिन मनी ऋण केन्द्र से अथवा उ० प्र० वित्त निगम से प्रदान करवाया जाता है। अनुसूचित जाति के मामलों में यह सीमा 15 प्रतिशत तक है। वापिसी 9वीं व 13वीं वर्ष में दो-दो किश्तों में होती है।

(iii) **राष्ट्रीयकृत बैंक**—सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

(iv) **डी० आर० ई० योजना**—इस योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के उद्यमि को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

(छ) नयी औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर में छूट :

इस योजना के अन्तर्गत 1 अक्टूबर 1990 से स्थापित होने वाली इकाइयों को बिक्रीकर सुविधा उपलब्ध करायी जायगी।

(ज) आई० आर० डी० योजना :

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के कारीगरों को, जिन की आय रु० 3500 वार्षिक से कम हैं, सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(झ) किराया क्रय योजना :

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ओखला, नई दिल्ली से एवम् 50,000 तक की उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर से इस योजना के अन्तर्गत 9.5 वार्षिक ब्याज दर पर मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। उद्यमी को 10 प्रतिशत लगाना होता है। ऋण की वापिसी 7.5 वर्ष में होती है। इसमें जमानत की आवश्यकता नहीं है।

(त) औद्योगिक सहकारी समितियों को सुविधाएँ :

सहकारी समितियों को जिला सहकारी बैंक से आर० बी० आई० ऋण कैश क्रैडिट लिमिट के रूप में उपलब्ध होता है।

(i) **आर० बी० आई० ऋण**—सहकारी समिति के सदस्यों को उनका अंश पूंजी का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में शासन प्रदान करता है।

(ii) **अंश पूँजी ऋण, सहकारी समितियाँ**—ऋण के रूप में शासन प्रदान करता है।

(iii) **सहकारी समितियों के लिए अनुदान**—वस्त्रीय एवं अवस्त्रीय औद्योगिक सहकारी समितियों को स्टाफ के वेतन, सुधरे यंत्रों एवं कार्यशाला निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) **चुंगी सीमा शुल्क की छूट**—सभी नई इकाइयों को इमारती सामान एवं मशीनरी को लाने में चुंगी एवं सीमा शुल्क से छूट उपलब्ध है।

(v) **बिक्री कर छूट**—नई इकाइयों द्वारा कच्चे माल के क्रय एवं पैकिंग मैटीरियल के क्रय पर उत्पादन तिथि से 5 वर्ष तक बिक्री कर में छूट उपलब्ध हैं। वह केवल विशिष्ट उत्पादनों के लिए ही है।

(vi) **एक्साइज ड्यूटी में छूट**—कुछ विशिष्ट उत्पादनों पर भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी मुक्त किया है जिन्हें "एक्साइज टैरिफ" में देखा जा सकता है।

(vii) **आई० आर० डी० सब्सिडी**—ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों के लिए, जिनकी आय 3500/– वार्षिक से कम है, उनके द्वारा लिये गये ऋणों पर तिहाई अथवा अधिकतम 3000/– तक की छूट जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी से उपलब्ध करायी जाती है।

(viii) **स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत छूट**—निर्धन हरिजन एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उनके द्वारा लिये गये ऋणों पर 25 प्रतिशत से 33.5 प्रतिशत तक का अनुदान समाज कल्याण विभाग से दिलाया जाता है।

(ध) खादी ग्रामोद्योग योजनाएँ :

खान, लौह, काष्ठ, दाल, पशुधन, कुम्हारी, ताड़, गुड़ आदि कुछ ग्रामीण उद्योगों हेतु सम्पूर्ण ऋण की व्यवस्था 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर बोर्ड से कराई जाती है। खादी के कार्य हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है तथा निम्न सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं—

(i) **खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अनुदान**—के० वी० आई० बोर्ड विशिष्ट योजनाओं पर अनुदान प्रदान करता है जो पैटर्न हिसाब से समय पर निर्धारित की जाती है। इसमें बान, साबुन, काष्ठ, लौह, चर्म, कुम्हारी, ताड़, गुड़ आदि के उद्योग शामिल हैं।

(ii) **सहकारी प्रचार अनुदान**—ऐसी औद्योगिक इकाइयों को जो क्यू मार्कड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, प्रचार हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(न) हस्त कला योजना :

जरी एवं जरदौली, खिलौने, संगमरमर पर कढ़ाई, लकड़ी पर नक्काशी बेल तथा बांस की वस्तुएँ, चिकन, चमड़े की कलात्मक वस्तुएँ हाथी पर नक्काशी, कालीन, हाथ से छपाई तथा कपड़े की परम्परागत रँगाई आदि हस्त शिल्प उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। हस्तकला व्यक्तिगत इकाइयों का प्रस्तावित एवं कार्यरत पंजीयन सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। इन उद्योगों के विकास हेतु निम्न योजनाएँ चल रही हैं।

(i) **गुण चिह्नांकन योजना**—उत्पादकों की गुणवत्ता जांच हेतु जनपद आगरा के लैदर शूज, जरी गुड्स तथा मार्बल गुड्स के लिए गुण चिह्नांकन योजना शासन द्वारा चलायी जा रही है। तकनीकी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होने पर गुण चिह्नांकित मोहर लगा दी जाती है। इससे अच्छे उत्पादकों के विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है तथा क्रेता भी धोखाधड़ी से बच जाता है।

(ii) **शिल्प ग्राम योजना**—आगरा जनपद में शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम योजना ताजगंज के निकट विकसित किया गया है जिसमें शिल्पियों के लिए निर्मित 24 शैड, दो विपणन केन्द्रों का निर्माण किया गया है। शिल्प ग्राम की स्थापना से शिल्पियों के आर्थिक स्तर में सुधार होगा तथा बिचौलियों एवं आढ़तियों द्वारा शोषण से शिल्पियों की मुक्ति सम्भव हो सकेगी।

iii) **मास्टर क्राफ्ट मैन योजना**—इस योजना के अन्तर्गत मार्बल, पच्चीकारी जरी एवं पत्थर तराशी के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिसमें दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 12 माह है।

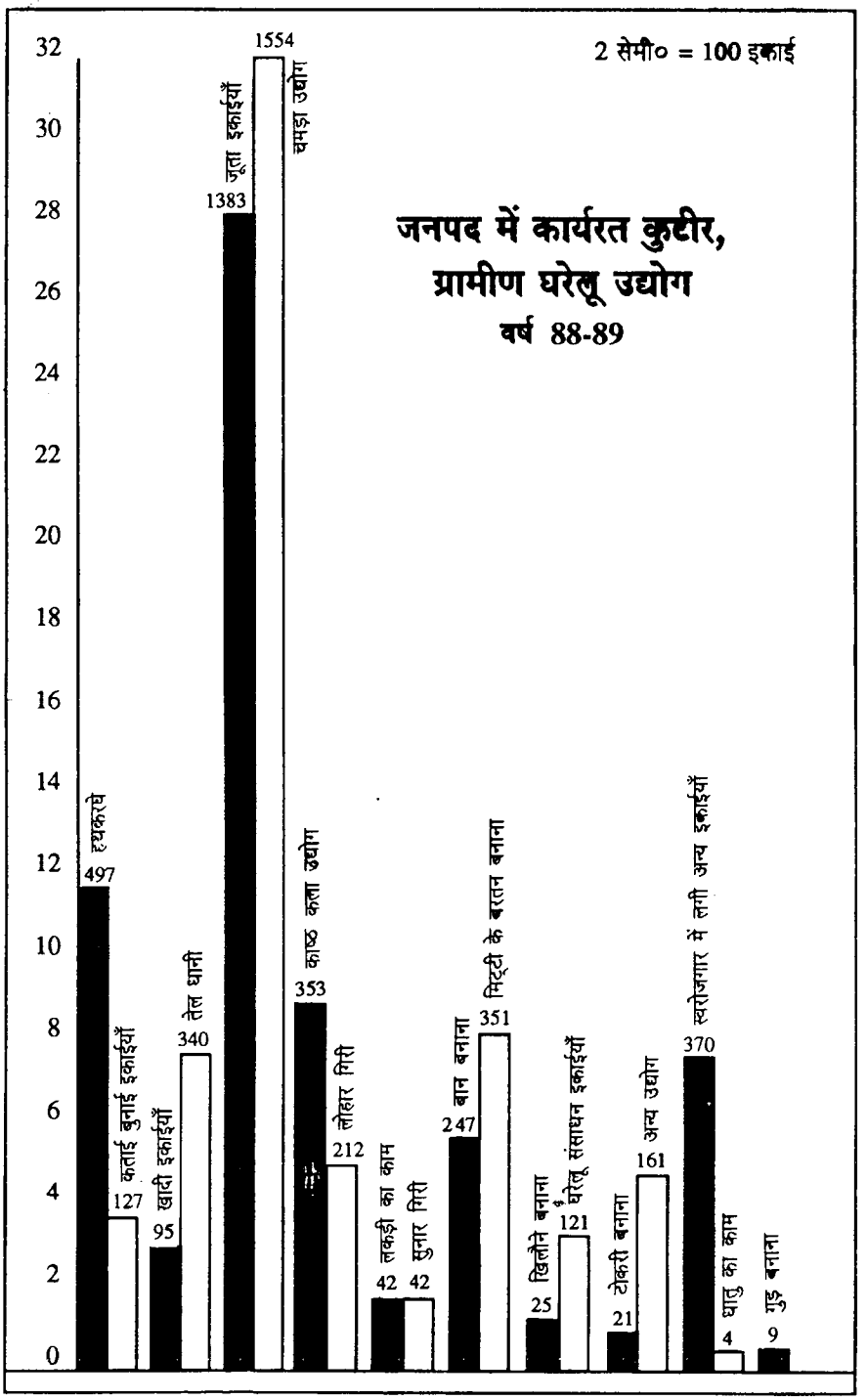
2 सेमी० = 100 इकाई
जनपद में कार्यरत कुटीर,
ग्रामीण घरेलू उद्योग
वर्ष 88-89
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
हथकरघे
497
कताई बुनाई इकाईयाँ
127
खादी इकाईयाँ
95
तेल घानी
340
जूता इकाईयाँ
1383
चमड़ा उद्योग
1554
काष्ठ कला उद्योग
353
लोहार गिरी
212
लकड़ी का काम
42
सुनार गिरी
42
बान बनाना
247
मिट्टी के बरतन बनाना
351
खिलौने बनाना
25
घरेलू संसाधन इकाईयाँ
121
टोकरी बनाना
21
अन्य उद्योग
161
स्वरोजगार में लगी अन्य इकाईयाँ
370
धातु का काम
4
गुड़ बनाना
9

(प) हथकरघा योजना :

इसके अन्तर्गत हथकरघा शक्ति चालित करघा, निवाड़, होजरी, दरी आदि उद्योग आते हैं।

हथकरघा, व्यक्तिगत इकाइयों का प्रस्तावित तथा कार्यरत पंजीयन सहायक निदेशक (हथकरघा) अलीगढ़ द्वारा किया जाता है। हथकरघा समिति का पंजीयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर द्वारा किया जाता है। हथकरघा सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण प्रबन्धकीय अनुदान आदि हथकरघा निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर द्वारा प्रदान किया जाता है। बुनकरों को उनके बच्चों की पढ़ाई उ० प्र०, कानपुर द्वारा की जाती है।

चश्में, लड़की की शादी बिजली आदि के लिये बहबूदी फंड योजना के अन्तर्गत अनुदान की व्यवस्था की जाती हैं।

(फ) कच्चे माल की सुविधा :

(i) **आयतित कच्चा माल**—विभाग द्वारा ऐसा कच्चा माल जो देश में उपलब्ध नहीं है, प्राप्त करने की सुविधा उद्योग इकाइयों को दी जाती है।

(ii) **दुर्लभ नियंत्रित कच्चा माल**— नियंत्रित कच्चे माल जैसे सीमेन्ट, लोहा, कोयला, मोम, एल्यूमिनियम, सीरा, गन्धक, एल० डी० पी०, पीतल, जर्मन, सिल्वर आदि नियंत्रित कराये जाते हैं।

(ब) विपणन सम्बन्धी सहायता :

(1) उ० प्र० लघु उद्योग, कानपुर।

(2) राष्ट्रीय उद्योग निगम, नई दिल्ली।

(3) डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स, कानपुर।

(4) ऑल इंडिया हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली।

(5) यू० पी० हैन्डलूम कारपोरेशन, कानपुर।

(6) यू० पी० स्टेट लैदर कारपोरेशन, आगरा।

(7) जिला ग्राम विकास एजेन्सी।

(भ) निर्यात :

यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा उ० प्र०

वित्त निगम के माध्यम से अल्पकालीन सहायता प्रदान कराकर निर्यात में सुविधायें प्रदान की जाती है।

(म) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वरोजगार योजना :

इसके अन्तर्गत सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों को अधिकतम रु० 35,000/– का ऋण अग्रणी बैंकों द्वारा उद्योग रु० 25000/– तक सेवा तथा 15000/– तक व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना में वे सभी शिक्षित बेरोजगार शामिल किये जायेंगे जिन्होंने मैट्रिक (कक्षा—10) और इससे उच्च शिक्षा प्राप्त की है। जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है और जो अपनी स्वयं की पूँजी लगाने में असमर्थ है तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु० 10,000/– से अधिक न हो। महिला और प्रशिक्षित कार्मिकों को वरीयता दी जायेगी।

(19) सामाजिक कल्याण कार्यक्रम :

जनपद आगरा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 88–89 में 13815 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें 509.73 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया तथा 337.57 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गई।

ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 1015 ग्रामीण युवकों युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेघर परिवारों को भवन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 4538 परिवारों को भवन उपलब्ध कराये गये जिसमें 450 इन्दिरा आवासों का निर्माण तथा 4088 निर्बल वर्ग आवासों के अन्तर्गत निर्मित किये गये।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 18.45 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित कराया गया जिसके अन्तर्गत 436.70 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई तथा 3396 मी० टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 7.19 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया जिसके अन्तर्गत 167.18 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई तथा 1680 मी० टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

जनपद आगरा
मुख्य फसलों का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में

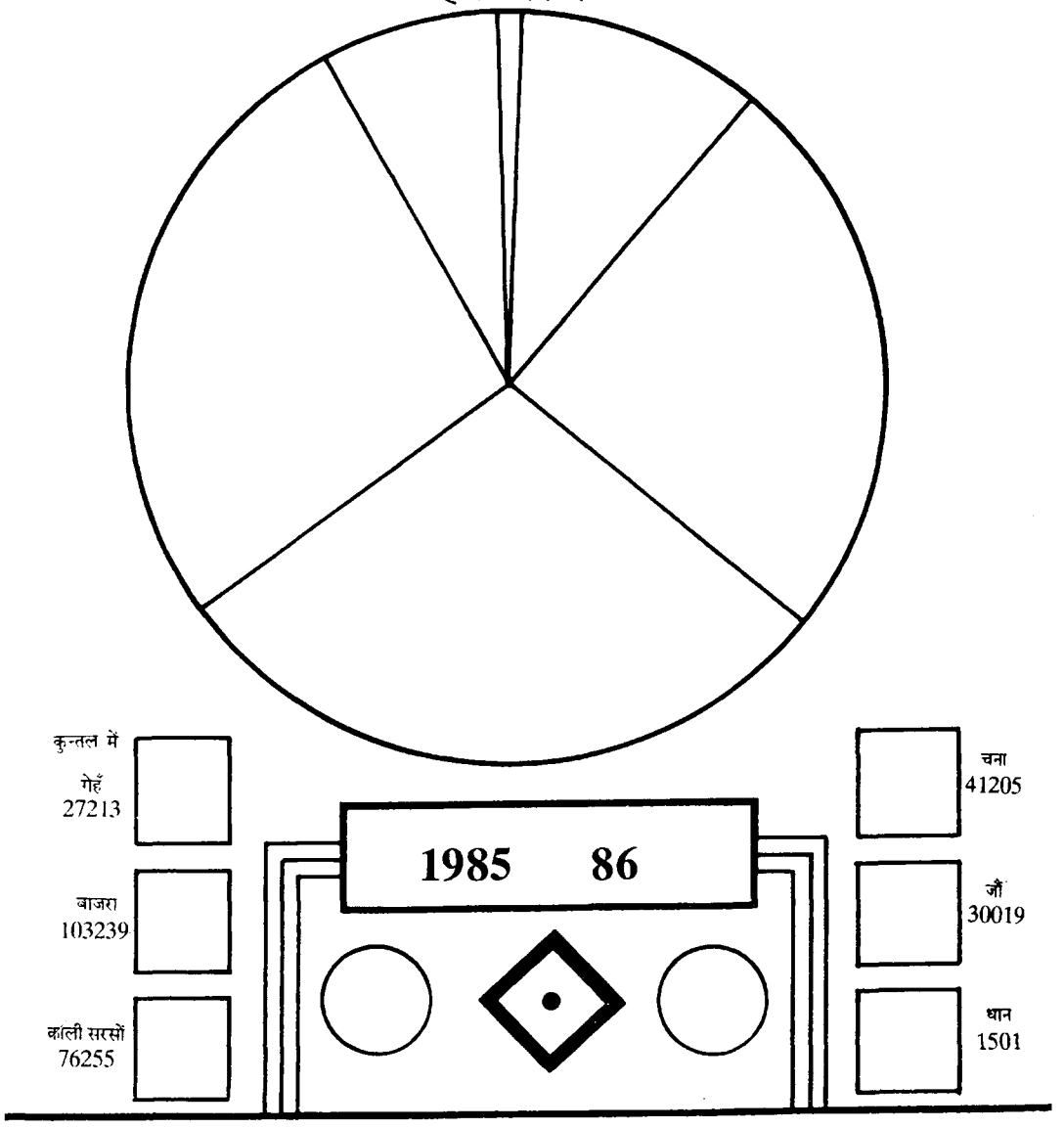

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत 4650 लघु सीमान्त कृषकों को बोरिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा 3078 पम्पिग सेटों की स्थापना की गई जिन पर 140.74 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 88–89 जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष भर में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को वर्ष 88–89 में 39,27,800 रु0 की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। जिससे 17671 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए। कक्षा–10 से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के कक्षा 10 व 12 तथा सी० पी० एम० टी० के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 88–89 में 1,26,000 रु० व्यय किये गये। जिससे 195 छात्र-छात्राओं को लाभ हुआ। अत्याचारों से पीड़ित तथा निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी हेतु वर्ष 88–89 में 1.00 लाख रु० व्यय किया गया तथा 100 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

विभाग द्वारा निराश्रित विधवा/विकलांगों के पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 88–89 में 22,36,400 रु० की धनराशि व्यय हुई और 2970 व्यक्ति लाभान्वित हुये। विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 88–89 में 45 छात्रों को 9400 रु० की धनराशि वितरित की गई।

कृषि :

खरीफ व रबी की फसलों के लिये क्रमशः कुल 214 लाख व 1024·68 लाख रुपया फसली ऋण वितरित किया गया।

पशुपालन :

जनपद में 23 पशु सेवा केन्द्र, 6 डी क्लास पशु चिकित्सालय तथा 46 पशु सेवा केन्द्र पर पशु चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त 18 ग्रा० स० इकाई, एक चेक पोस्ट तथा एक विजिलेन्स यूनिट एक भेंड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र एवं एक अश्व प्रजनन केन्द्र पशुपालकों की सेवा में कार्यरत है।

सामाजिक वानिकी :

वर्ष 88–89 में 1119.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया तथा 21.79 लाख पौधे रोपे गये ।

उद्यान विभाग.:

वर्ष 88–89 में उद्यान सम्बन्धी विकास कार्यों के अन्तर्गत शाक भाजी हेतु 12443 हेक्टेअर क्षेत्रफल में शाक भाजी का उत्पादन किया गया तथा विभागीय शाक भाजी बीज 26·65 कुन्टल का वितरण कराया गया तथा विभाग द्वारा 505.7 हेक्टेअर में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार किया गया ।

सहकारिता :

सहकारिता विभाग में जनपद में प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 103 है । सहकारिता में चीनी मिट्टी के तेल, साबुन, कपड़े का व्यवसाय भी किया जाता है ।

सिंचाई :

जनपद आगरा में विद्युत वितरण खंड, आगरा द्वारा वर्ष 88–89 में 417 प्राइवेट नलकूप लगाये गये ।

खंड---4

कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण
व
आंकड़ों का विश्लेषण

सर्वेक्षण के अन्तर्गत अट्ठारह विकास खंडों में, अनुश्रवण केन्द्र से प्रदत्त सारणीकरण प्रपत्रों पर फर्स्ट हैन्ड सूचना प्राप्त कर आंकड़े संकलित किये गये हैं। इन्हीं को आधार मानकर यह डाटा तैयार किया गया है :—

बिन्दु—1

प्रखंड स्तर पर उद्योगों का विवरण :

(1) जनपद में वृहद उद्योग एक है जो कि टूण्डला में स्थित है।

(2) जनपद में विभिन्न विकास खंडों में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 85 है तथा अपंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 2180 है।

(3) फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत इकाइयां 405 हैं जिसमें रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 35260 है।

(4) विभिन्न विकास खंडों में कुटीर, ग्रामीण, घरेलू उद्योगों की कुल इकाई संख्या 5954 है जिनमें हथकरघे, कताई/बुनाई खादी, तेलघानी, जूता इकाइयां, चमड़ा उद्योग, काष्ठकला उद्योग, लुहारगीरी, सुनारगीरी, लकड़ी का काम, धातु का काम, गुड़ बनाना, बान बनाना, माचिस बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, घरेलू संसाधन इकाइयाँ, टोकरी बनाना, अन्य उद्योग एवं स्वरोजगार में लगी 370 इकाइयां सम्मिलित हैं।

बिन्दु—2

उद्योग धन्धों के आधार पर माँग :

आगरा जनपद औद्योगिक दृष्टि से भी सम्पूर्ण देश में अपना एक प्रमुख स्थान रखता

है। अत: यहाँ निम्नलिखित उद्योगों में अधिकतर मांग बनी रहती है—चमड़े के जूते, चमड़े का सामान, कालीन, ऊनी दरी, डीजल इंजन, लोहे की ढलाई का सामान, एवं अन्य इंजीनियरिंग के सामान। इस जनपद में 9 मध्य स्तरीय उद्योग है जिनमें रोलर फ्लोर मिल्स, चाय, रोलिंग मिल्स, साफ्ट ड्रिंक्स, फाउन्ड्री उद्योग हैं। आगरा जनपद में टूरिज्म व होटल व्यवसाय भी बहुत प्रमुख है। यहाँ पाँच सितारा होटलों से लेकर सभी प्रकार के होटल व लॉज हैं जिनमें रोजगार प्राप्त करने के अच्छे अवसर हैं।

बिन्दु—3

प्रखंड स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों की कमी :

जनपद में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्राइवेट प्रतिष्ठानों जैसे—नर्सिंग होम, लैबोरेटरी, केमिस्ट्स, हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम, फर्नीचर-स्टील फर्नीचर, रोलर फ्लोर मिल्स, सैल्स एण्ड एक्सपोर्ट, फुटवियर, डीजल इंजन पार्ट्स, ब्रेड उत्पादन, कपड़ा व्यवसायी आदि सभी में सीधी भर्ती के द्वारा अनुभव तथा पद के अनुरूप शिक्षित/प्रशिक्षित व्यक्तियों से पदों की भर्ती करते हैं। उपर्युक्त तथा अन्य प्राइवेट प्रतिष्ठानों में अधिकतर निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

डॉक्टर—	एम० बी० बी० एस (सीधी भर्ती)
नर्स—	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित-स्वप्रशिक्षण देकर एवं अनुभव के आधार पर (सीधी भर्ती)
मैनेजर, सुपरवाइजर आदि—	अनुभव, शिक्षा के आधार पर (सीधी भर्ती)
लिपिक—	,, ,, ,,
मिस्त्री—	,, ,, ,,
डिजाइनर—	,, ,, ,,

फिटर, पेस्टर, टर्नर, फिटर फिनिशर, बाटम मैन, मेकर, मैनेजर लेबर आदि पदों पर अनुभव तथा काम योग्य शिक्षा के आधार पर।

इसी प्रकार होटल व्यवसाय में पदों पर भर्ती सीधी/मध्यस्थ-रोजगार कार्यालय द्वारा विभिन्न पदों पर की जाती है। पदानुसार शिक्षा का आकलन व्यवसायी के आधार पर किया जाता है। बहुत से प्राइवेट प्रतिष्ठानों में कार्य ठेके पर दे दिया जाता है तथा

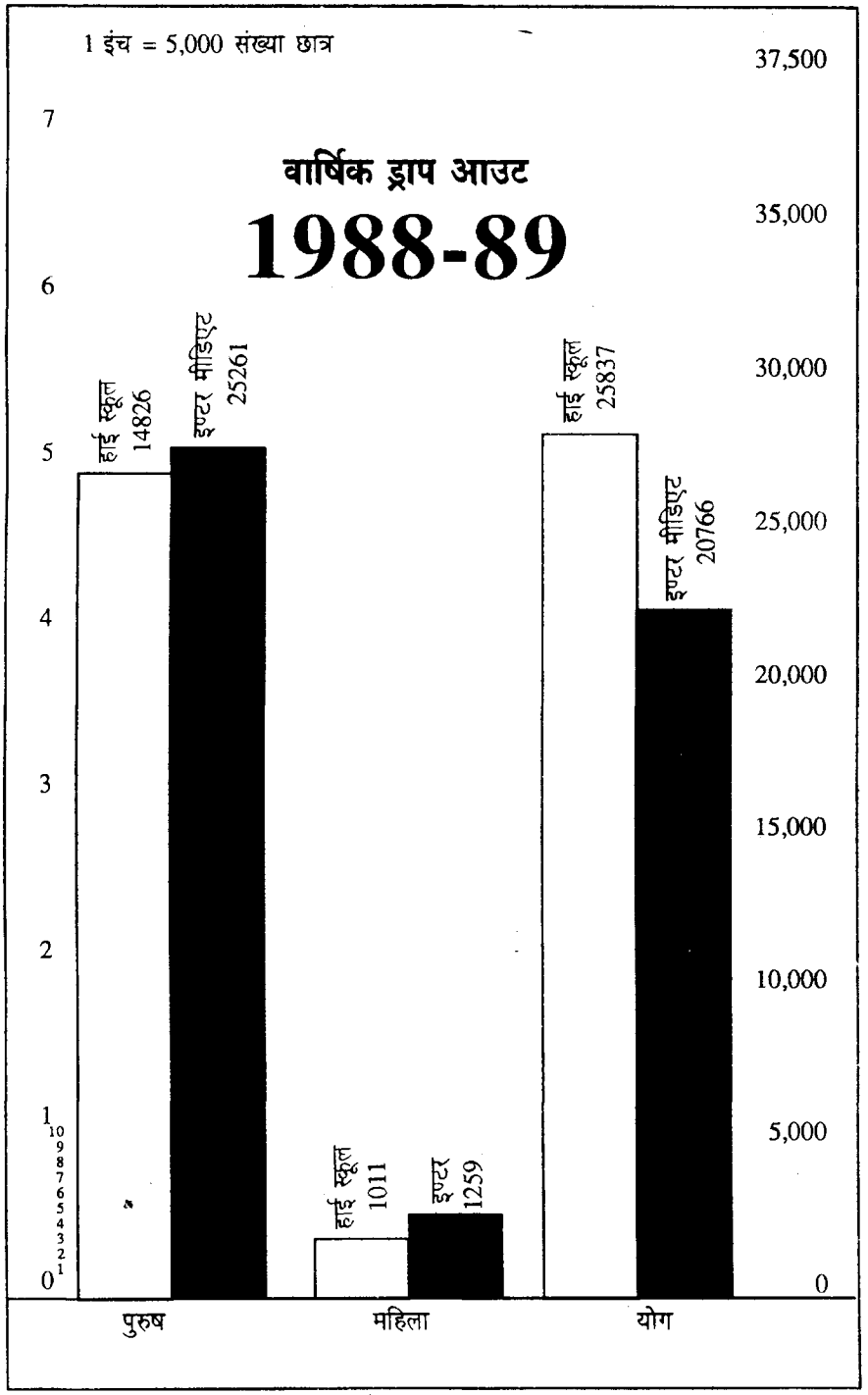
1 इंच = 5,000 संख्या छात्र
वार्षिक ड्राप आउट
1988-89
हाई स्कूल 14826
इण्टर मीडिएट 25261
हाई स्कूल 1011
इण्टर 1259
हाई स्कूल 25837
इण्टर मीडिएट 20766
37,500
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
पुरुष
महिला
योग

10 + 2 के आधार पर इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र

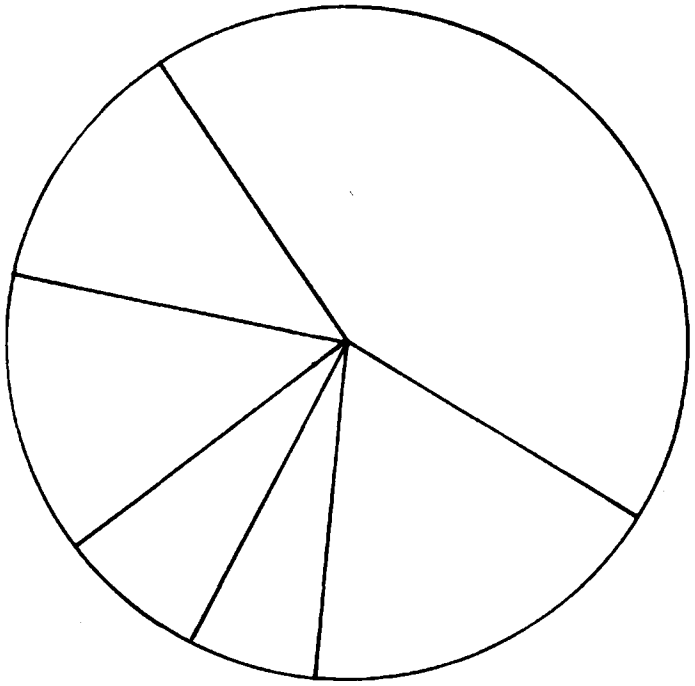

टंकण

एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण

बैंकिंग

आटोमोबाइल

रेडियो टी वी

फोटोग्राफी

तैयार माल पर वे अपना लेबल लगाकर मार्केट में भेज देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार की सम्भावनायें निम्न हैं— ठेकेदार, अपनी रुचि तथा मजदूरी के अनुसार अप्रशिक्षित लोगों को रोजगार देकर काम कराते हैं।

बिन्दु—4

स्वरोजगार के अवसर :

जॉब वर्क, कुर्सी व बक्से, ट्रेक्टर मरम्मत के वर्कशाप अलौह धातु से इमारती सामान, आटो रिपेरिंग, बैल्डिंग वर्कशाप, लोहे के गोल ड्रम, आइल एक्सपेलर बेकरी व कन्फेक्शनरी, पीसना, पशुओं का चारा, आइस फैक्ट्री, लालटेन, स्टोप, पोलीथीन के थैले व ट्यूब रबर के ढले हुए साईकिल के पुर्जे, हौज पाइप, टायर रिट्रीडिंग, किचिन कन्टेनर्स, पौलीथीन के मग, एल० डी० पोलीथीन की बल्टियाँ, प्लास्टिक की डोरी, एवं पट्टी, स्याही की टिकिया व पेन की स्याही, कपड़ा धोने का साबुन, फिनाइल ड्राइंग इंक, ब्लीचिंग पाउडर, आयुर्वेदिक दवायें, लकड़ी का बिजली फिटिंग का सामान, ट्यूब लाइट, की बेसपट्टी, हड्डी की खाद, ग्लू मैकिंग, सिले-सिलाये कपड़े, धागे की रोल, बैलगाड़ी बनाना, व मरम्मत करना, खड़िया, चाक व स्लेट, टौफी चाकलेट, व लाइम चूस, स्कूली बैग व हैण्ड बैग, छाता बनाना, चमड़े का सामान, वस्त्र छपाई व रंगाई, एरियटेड वाटर, कार्ड बोर्ड, सीमेंट टाइल्स, घरेलू रसोई के सामान तथा घरेलू फिटिंग का सामान आदि।

बिन्दु—5

प्रखंड स्तर पर रोजगार की सम्भावनायें :

प्राइवेट तथा राजकीय प्रतिष्ठानों में रोजगार की सम्भावनायें निम्न पदों के लिये वर्तमान में हैं :—

डॉक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स, इंजीनियर, प्रशिक्षित टैक्नीकल मैन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये प्रशिक्षित कानूनी सलाहकार, मैनेजर, सुपरवाइजर, मिस्त्री प्रशिक्षित अध्यापक आदि।

अनुमान किया जाता है कि औद्योगिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिष्ठानों में रोजगार सम्भावनायें तीव्र गति से बढ़ेगी। शिक्षा के विस्तार हेतु अधिकाधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

बिन्दु—6

व्यवसाय जिसमें व्यक्तियों की कमी होगी :

इंजीनियरिंग, जॉब वर्क, उन्नत कृषियंत्र, स्टील फ्रैब्रीकेशन, स्टोरेज, एलम चपकटर्स, बेकरी व कन्फेक्शनरी, विद्युत टैक्नीशियन, चमड़ा शोधन, हौजरी का सामान, सर्जीकल बैन्डेज एवं यंत्र, नर्सिंग, कम्पाउन्डरी, एकाउन्टैन्ट्स, टेलरिंग, निवाड़, कम्बल, कारपेट, वस्त्र छपाई व रंगाई, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राइंग तथा स्क्रीन प्रिंटिंग, चूड़ी व्यवसाय, ट्रांजिस्टर, टी० वी० रिपेरिंग, टूरिस्ट गाइड, फोटो ग्राफर, बावर्ची, कुकर, पेठा, नमकीन, ठेकेदारी, भवन, सड़क निर्माण, सैल्स मैन, कशीदाकारी, जरदौजी, ट्रक, टैक्सी चालक, दुग्ध उद्योग, डेरी उद्योग, उन्नत कृषि, फार्मिंग, खेल का सामान, पेट्रोलियम पदार्थ एवं साइकिल पार्ट्स आदि ।

बिन्दु—7

प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग :

कम्पाउन्डर, नर्स, टैक्नीकल, असिस्टैन्ट, लैब असिस्टैन्ट, होटल व्यवसाय, विभिन्न कल पुर्जों के कारखाने, चमड़ा उद्योग, सैल्स मैन, टैक्नीशियन, आदि की मांग प्रति वर्ष दो हजार के लगभग आंकी गई है ।

बिन्दु—8 व बिन्दु—9

स्कूल कालेज जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्य क्रम (ट्रेड्स) आरम्भ किये जा सकते हैं ।

विद्यालय का नाम	ब्लाक	तहसील	ट्रेड्स	शिक्षकों की उपलब्धता
1--एम० डी० जैन इं० का०, आगरा			टंकण, आशुलिपि व्यवस्था की जा सकेगी ।	
2—साकेत वि० पी० इं० का०, आगरा			आटोमोबाइल्स, फोटोग्राफी व्यवस्था की जा सकेगी ।	
3—सेन्ट जोन्स इं० का०, आगरा			रेडियो व टी० वी०, पुस्तकालय वि० व्यवस्था की जा सकेगी ।	

विद्यालय का नाम	ब्लाक	तहसील	ट्रेड्स	शिक्षकों की उपलब्धता
4—चाहरवादी इं० का०, अकोला, अकोला				बुनाई तकनीक, टैक्सटाइल्स डिजाइन व्यवस्था की जा सकेगी ।
5—गांधी स्मारक इं० का०, जैगारा, अकोला				मुद्रण, फोटोग्राफी व्यवस्था की जा सकेगी ।
6—एन० आर० इं० का०, टूण्डला, टूण्डला				मुद्रण, आटोमोबाइल्स व्यवस्था की जा सकेगी ।
7—जे० वी० इं० का०, अलीनगर, केजरा, फिरोजाबाद				फसल सुरक्षा प्रोट्यां, बीजोत्पादन व्यवस्था की जा सकेगी ।
8—आर० आर० एम० इं० का०, बछगांव, फिरोजाबाद				पौधशाला, विपणन व विक्रय कला व्यवस्था की जा सकेगी ।
9—शिव प्रसाद रा० इं० का०, अछनेरा, किरावली, किरावली				खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र व्यवस्था की जा सकेगी ।
10—जी० एस० के० इं० का०, किरावली, किरावली				मधुमक्खी पालन, धुलाई व रंगाई व्यवस्था की जा सकेगी ।
11—बजाज राष्ट्रीय इं० का०, फतह, सीकरी, किरावली				रेशम, कीट पालन, फोटो ग्राफी व्यवस्था की जा सकेगी ।
12—बी० एन० सरां इं० का०, जगनेर, जगनेर, खेरागढ़				आटोमोबाइल्स, डेरी प्रो० व्यवस्था की जा सकेगी ।
13—एस० एम० डी० डी० इं० का०, खेरागढ़, खेरागढ़, न० विष्णु				पौधशाला, खाद्य संरक्षण व्यवस्था की जा सकेगी ।
14—डॉ० कर्ण सिंह इं० का०, रहलई सैंया, खेरागढ़				फोटो ग्राफी, सहकारिता व्यवस्था की जा सकेगी ।
15—ए० पी० इं० का०, शमशाबाद, शमशाबाद, फतहाबाद				डेरी प्रो०, पौधशाला, व्यवस्था की जा सकेगी ।
16—जनता इं० का०, फतहाबाद, फतहाबाद, फतहाबाद				बुनाई तकनीक, टंकण व्यवस्था की जा सकेगी ।
17—सर्वोदय वि० म० इं० का०, पिनाहट, बाह, पिनाहट				सचिवीय पद्धति, खाद्य संरक्षण व्यवस्था की जा सकेगी ।

विद्यालय का नाम	ब्लाक	तहसील	ट्रेड्स	शिक्षकों की उपलब्धता
18—भदावर वि० म० इं० का०, बाह,		बाह,	रेडियों व टी० वी०	फोटो ग्राफी व्यवस्था की जा सकेगी ।
19—दामोदर इं० का०, होलीपुरा,		बाह,	एकाउटेन्सी व अंकेक्षण, टंकण	व्यवस्था की जा सकेगी ।
20—विमला देवी इं० का०, गढ़ीरामी,		खंदौजी, एत्मादपुर	बैंकिंग तथा कन्फे०, डेरी प्रो०	व्यवस्था की जा सकेगी ।
21—राष्ट्रीय इं० का०, बरहन,		एत्मादपुर, एत्मादपुर	धुलाई व रंगाई,	खाद्य संरक्षण व्यवस्था की जा सकेगी ।

बिन्दु—10

विचाराधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की अनुक्रियायें :

(1) मुख्य समस्या विज्ञान वर्ग के उन छात्रों की है, जिन्होंने यदि किसी ट्रेड का चयन किया है तो उनको विज्ञान का केवल एक ही विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा गणित कोई सा एक मिल पाता है । अन्य तीन विषयों मे—हिन्दी, सामान्य आधारित ज्ञान दो विषयों के बराबर व्यावसायिक शिक्षा का ट्रेड हो जाता है । इस प्रकार यदि ये विद्यार्थी डिग्री में बी० एस-सी० में प्रवेश प्राप्त करना चाहें तो नहीं मिल पाता है ।

(2) अनेक ट्रेड जैसे रेडियों व टेलीविजन, फोटोग्राफी, ओटोमोबाइल्स, बैंकिंग व कन्फेक्शनरी, खाद्य संरक्षण, डेरी प्रोद्योगिकी, टैक्सटाइल एवं डिजाइन, पौधशाला आदि में टैक्नीकल शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान छात्रों के बराबर मिल पा रहा है जिससे वह स्वरोजगार के लिये अपनी कोई उपयोगिता नहीं दर्शा पायेगें । इसके निम्न कारण है :—

(i) समय से स्वीकृत धनशाशि का न आना, जिससे प्रयोगात्मक कार्य नहीं हो पाते हैं ।

(ii) प्रयोग जो कुछ होते है उनमें छात्र स्वयं सामान खरीद कर लाते हैं ।

(iii) प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा व्याख्यानों की व्यवस्था सन्तोष प्रद नहीं है ।

(iv) छात्र यह मानते है कि उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें अन्य प्रशिक्षण लेना होगा जिससे उन्हें रोजगार मिल सके या स्वरोजगार कर सकने का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हो सके ।

(v) किसी बड़ी कम्पनी में रोजगार उक्त शिक्षा के आधार पर प्राप्त नहीं हो सकता ।

(vi) उक्त प्रशिक्षण के किसी प्रकार के डिप्लोमा जैसे कि आई० टी० आई० आदि के सामान्य मान्यता नहीं प्राप्त है ।

(vii) उक्त कोर्स को करने के उपरान्त अलग से कोई डिप्लोमा/सार्टीफिकेट नहीं मिलता है ।

viii) रोजगार कार्यालय में भी इन छात्रों का तकनीकी कुशलता प्राप्त वाले रोजगारों के लिये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ।

(ix) ऋण सुविधा बहुत कम प्राप्त हो पा रही है ।

ट्रेड जिनके प्रति छात्रों में उत्साह एवं संतोष है, वे निम्नवत है :—

1—एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण

2—टंकण

3 आशुलिपि एवं टंकण

उक्त ट्रेड के छात्रों को डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु भी वरीयता दी जाती है ।

बिन्दु—2

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समुदाय की अनुक्रियायें :—समीक्षा

(i) व्यावसायिक शिक्षा के अधीन चलाये जा रहे ट्रेड्स की उन रोजगार दाता संस्थानों द्वारा उक्त प्रशिक्षण को मान्यता दी जानी चाहिये जिससे रोजगार प्राप्त करने में, प्राथमिकता मिले ।

(ii) विज्ञान के छात्रों को डिग्री विज्ञान कोर्स में इस प्रशिक्षण के साथ प्रवेश दिया जाना चाहिये ।

(iii) प्रैक्टीकल कराये जाने के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(iv) छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अधिकाधिक स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

(v) छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक रुचित जाग्रत की जानी चाहिये ।

(vi) समय-समय पर सम्बन्धित उच्च विभागीय अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कर व्यवस्था में आई शिथिलताओं को दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

(vii) प्रत्येक जनपद में व्यावसायिक शिक्षाधिकारी का पद सृजित कर नियुक्ति की जानी चाहिये । जिससे कम से कम माह में एक बार उनके द्वारा प्रत्येक-विद्यालय में प्रत्येक ट्रेड का परिवीक्षण किया जा सके तथा क्रियात्मक शिथिलता को दूर करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । उक्त अधिकारी के अधीन कुछ फन्ड ऐसा रखा जाय जिससे प्रैक्टीकल आदि की आवश्यकताओं के लिये धन प्रदान किया जा सके ।

सर्वेक्षण का निष्कर्ष

1) प्रखंडवार सम्भावित ट्रेड्स/कोर्सेज की पहचान :—

जनपद आमरा एक औद्योगिक जनपद के अतिरिक्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी हैं। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित ट्रेड्स के प्रशिक्षण की आवश्यकतायें हैं :—

1. टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण
2. होटल व्यवसाय—कुक, अटेन्डेन्टस, लिपिक, सैल्स मैन आदि का प्रशिक्षण
3. हस्तकला उद्योग
4. नर्सरी प्रशिक्षण
5. घरेलू उपयोगी सामान-प्रशिक्षण
7. वीडियो फोटोग्राफी-प्रशिक्षण
8. नाट्य संगीत कला प्रशिक्षण
9. बढ़ई गीरी प्रशिक्षण
10. चीनी गुड़ बनाने का प्रशिक्षण
11. इमलशन पेन्ट प्रशिक्षण
12. स्प्रे पेन्टिग तथा डैन्टिग प्रशिक्षण

11. सम्भावित कोर्सेज को स्थापित किये जाने हेतु स्थलों की पहचान :

1. टूरिस्ट गाइड — नगर महापालिका इं०का० ताजगंज, आगरा
2. होटल व्यवसाय—एम०एम० शैरी उ०मा०वि०, आगरा
   गोपीनाथ शिवहरे कन्या इं०का०, आगरा
   विक्टोरिया इन्टर कालेज, आगरा
3. हस्तकला — विक्टोरिया इं०का०, आगरा
   सी०पी०पब्लिक इं०का०, आगरा
4. नर्स — सेन्ट जोन्स इं०का०, आगरा (बालक)
   नगर महापालिका गर्ल्स इं०का० गुड़ की मंडी, आगरा

सेन्ट जोन्स गर्ल्स उ०मा०वि० एम०जी० रोड, आगरा

5. घरेलू उपयोगी सामान—एम०डी० जैन इं०का०, आगरा
स्वामी बाग उ०मा०वि०, आगरा
आर०ई०आई० इं०का० दयालबाग, आगरा
डी०ई०आई० प्रेम विद्यालय गर्ल्स इं०का०, आगरा
चन्द्रा बालिका इं०का०, आगरा

6. वीडियो फोटोग्राफी— विक्टोरिया इन्टर कालेज, आगरा
एम०डी०जैन उ०मा०वि० धूलिया गंज, आगरा
महर्षि परशुराम इं०का०, आगरा

7. कार टैक्सी चालक— नगर महापालिका इं०का०, आगरा
एन०सी० वेदिक इं०का०, आगरा

8. नाट्य कला संगीत कला—क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इं०का०, आगरा
डी०ई०आई० प्रेम विद्यालय गर्ल्स इं०का०, आगरा
बी०डी०जैन गर्ल्स इं०का०, आगरा
एम०एम०शैरी उ०मा०वि०, आगरा

9. बढ़इ गीरी— चाहरवाटी इन्टर कालेज, अकोला
डी०ए०वी० इं०का०, आगरा

10. चीनी गुड़ बनाने का प्रशिक्षण—मोती लाल इं०का०, आगरा
शंकर लाल राम राज्य इं०का० लादूखोड़ा
जनता इं०का०, एत्मादपुर
स्टुअर्ड मैमोरियल उ०मा०वि०, सिकन्दरा

11. इमल्शन पेन्ट प्रशिक्षण— विक्टोरिया इन्टर कालेज, आगरा
महाराजा अग्रसेन इं०का०, आगरा
एस०एम०ए०औ० इं०का०, आगरा

12. स्प्रे पेन्टिग तथा डेन्टिग प्रशिक्षण - अहमदिया हनीफिया इं०का०, आगरा
बैप्टिस्ट उ०मा०वि०, आगरा
हालमैन इन्स्टीट्यूट हा०से० स्कूल, आगरा
साकेत वि०पी० इं०का०, आगरा

3. कोर्सेज ट्रेड की सफलता हेतु प्रस्तावित उपायों का विवरण :

(1) उपरोक्त विन्दु (2) में चयनित किये गये विद्यालय उक्त ट्रेडों के लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं क्योंकि इन विद्यालयों के क्षेत्रों में कच्चामाल आसानी से प्राप्त होता है तथा तैयार माल का आसानी से विक्रय किया जा सकता है।

(2) उक्त विद्यालय नामांकित ट्रेडों को चलाने में सक्षम हैं।

(3) उक्त ट्रेडों से प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार अत्यन्त अल्प धनराशि में कर सकते हैं।

(4) उक्त विद्यालयों के द्वारा भवन, स्टाफ, उपकरण तथा प्रयोगों के लिये व्यवस्था अत्यन्त अल्प धनराशि के द्वारा ही कराया जाना सम्भव हैं।

सर्वेक्षण आख्या का सार

शासन गरीबी उन्मूलन के लिये कृत संकल्प है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है। इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिये जनपद आगरा उद्योग विभाग ने वर्ष 88–89 में 588 लघु एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों की स्थापना की गई। उक्त लघु एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों ने वर्ष 88–89 में 121 दस्तकारी इकाइयों की स्थापना की गई। जिनके द्वारा 1395 लोगों.को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 88-89 में 954 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। मार्जिन मनी के रुप में उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 88–89 में 13-00 लाख रुपये वितरित किये गये। वर्ष 88–89 में 1114 प्रस्तावित इकाइयों का पंजीकरण किया गया तथा बिक्रीकर छूट सहित 12 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई।

उपरोक्त आंकड़ो पर दृष्टिपात करते हुए व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में आगरा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगरा का व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से सर्वेक्षण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि अभी अनेक ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना चाहिये जैसे कि वीडियो फोटो ग्राफी, डेटिंग ठेकेदारी इम्लशन पेंटिंग, नर्सिग, नाट्य संगीत कला, चीनी गुड़ बनाना, कार-टैक्सी चालक, होटल व्यवसाय आदि जिनका प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त छात्र तुरन्त रोजगार प्राप्त कर सकता है। तथा स्वरोजगार भी अत्यन्त अल्प धनराशि में प्रारम्भ कर सकता हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो ट्रेड्स चलाये जा रहे हैं उनमें बाणिज्य वर्ग के ट्रेडों को छोड़कर ट्रेडों में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका प्रमुख कारण प्रैक्टीकल के लिये धन की पूर्ति समय में न होना, व्याख्यानों की उचित व्यवस्था व होना तथा प्रभारी अध्यापकों द्वारा शिथिलता बरतना है।

इस सम्बन्ध में सुझाव, "सर्वेक्षण का निष्कर्ष" नामक बिन्दु के अन्तर्गत दिये गये हैं।

यदि उच्चाधिकारी उपर्युक्त सुझावों पर विचार कर क्रियात्मक दृष्टिकोण अपनायेगें तो निश्चय ही व्यावसायिक शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल होगा।

संलग्नक चार्ट

(1) जनपद आगरा का भौगोलिक नक्शा

(2) मुख्य फसलों का जनपद आगरा का चार्ट

(3) जनपद आगरा का विकास खंडानुसार नक्शा

(4) जनपद आगरा में कार्यरत कुटीर, ग्रामीण, घरेलू उद्योग चार्ट

(5) जनपद आगरा में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं का चार्ट

(6) वार्षिक ड्राप आउट वर्ष 1988-89 का चार्ट।

उक्त सर्वेक्षण आख्या को तैयार करने में आंकड़ों के परितुलन के लिये जिन-जिन सर्वेक्षण रिपोर्टों की सहायता ली गई उनका विवरण :—

(1) वार्षिक ऋण योजना 1989-90, प्रकाशक-कनारा बैंक, आगरा

(2) "जनपद आगरा 89" विकास पुस्तिका प्रकाशक-जिला सूचना कार्यालय आगरा।

(3) "शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों हेतु स्वरोजगार योजना एवं अन्य सहायता व सुविधायें" प्रकाशक-महा प्रबन्धक, जिला उद्योग-केन्द्र, आगरा।

National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7826
Date 27-10-93

NIEPA DC
D07826